कुरुक्षेत्र

अप्रैल 1986

मूल्य : 1.50 रु०

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से बदलता ग्रामीण परिदृश्य।

भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों की विकास योजना

श्याम सुन्दर जोशी

निर्मित सामग्री का प्रदर्शन करती महिला अनुदेशिकाएं

महिलाओं को समन्वित ग्रामीण विकास के आर्थिक कार्यक्रमों का सीधा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं व बच्चों की विकास योजना प्रारम्भ की गई। यह योजना मूलतः निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लाभ के लिये है जो एकीकृत ग्राम विकास योजना (आई०आर०डी०पी०) का ही एक अंग है।

योजना के तहत निर्धनतम परिवारों की महिलाओं का चयन कर उन्हें आर्थिक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात उस व्यवसाय में दक्षता हासिल कर लेने पर बैंकों से ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ कर दैनिक जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें।

राजस्थान में यह परियोजना परीक्षण के तौर पर चार जिलों में संचालित की जा रही है, जिनमें भीलवाड़ा भी एक है।

जिले में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक इस योजनांतर्गत महिला समूहों में कार्यरत ग्रामीण महिलाओं ने 4 लाख 48 हजार 250 रुपये का उत्पादन कार्य करके पारिश्रमिक के रूप में एक लाख 47 हजार 909 रुपये की राशि अर्जित की है, जो स्वयं में एक कीर्तिमान है।

भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी, शाहपुरा एवं माण्डलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्रों में चलाई जा रही इस परियोजनांतर्गत अब तक 15 महिला समूह संगठित किये जाकर 259 महिलाओं को लाभान्वित

(शेष पृष्ठ 7 पर)

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1.50 रु०
वार्षिक चन्दा : 15 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा
सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एडवर्ड बेक
सहायक निदेशक (उत्पादन) : आर० एस० मुंजाल

सम्पादक : जयन्त जहांगीर सिंह
उपसम्पादक : घनश्याम मीणा
आवरण पृष्ठ जीवन अडालजा
आवरण पृष्ठ चित्र : देवेन्द्र उपाध्याय

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 31 | **चैत्र – वैशाख 1908** | **अंक 6**

इस अंक में

	पृष्ठ संख्या
भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों की विकास योजना **श्याम सुन्दर जोशी**	आवरण पृष्ठ 2
कृषि विज्ञान केन्द्र ग्रामीण भारत की तसवीर बदल सकते हैं **डा० अजय कुमार**	2
समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास : असफलतायें एवं सुझाव **डा० के.एन. सिंह व डा० के.के. सिंह**	4
होठों को लाल करते-करते इनकी कमर झुक गई **नटवर त्रिपाठी**	8
क्षेत्रीय विकास में जन सहयोग : एक आवश्यकता **सूर्यनारायण त्रिपाठी**	9
राष्ट्रीय कृषि उत्पादन **ऋषभ देव सिंह**	12
कृषि वित्त हेतु बहु-अभिकरणीय अभिगम-साख कार्ड की आवश्यकता **राजेन्द्र प्रसाद सेकड़ा**	13
विकलांग तो है पर है हस्तसिद्ध कलाकार व चित्रकार **अशोक कुमार यादव**	18
बाल मजदूरों की समस्यायें **डा० हरिकृष्ण देवसरे**	20
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और समस्याएं **ह० श० नायक**	22
गज़ल **कृपा शंकर शर्मा "अचूक"**	24
झालावाड़ जिला द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति के लिए साधनों व सहायता का सदुपयोग **बलवन्त सिंह हाड़ा**	26
फसल बीमा योजना से लघु व सीमांत कृषकों की सुरक्षा **अवध बिहारी चौधरी**	28
बेकारी के संत्रास में फंसा ग्रामीण युवक **सूर्यनारायण त्रिपाठी**	30
बदलाव (कहानी) **प्रवीण शुक्ला**	31
अमरकंटक की धरती पर कॉफी की खेती **एम० सिंह**	आवरण पृष्ठ 3

कृषि विज्ञान केन्द्र

ग्रामीण भारत की तसवीर बदल सकते हैं

डा० अजय कुमार

अधिकांश गांव गरीबी और आपसी प्रेम के अभाव में आज भी टूट रहे हैं। गांव टूटें तथा गांव वालों के दिलों के बीच की दूरियां बढ़ती जाएं तो राष्ट्रीय एकता को खतरा बढ़ता है। अब भी अधिकांश गांवों में भूख है, बेरोजगारी है, पीने के पानी की समस्या है, आवास की दिक्कत है, पोषक तत्वों के अभाव में कल का कमजोर भारत है, आपसी प्रेम का अभाव है। दूसरी ओर शहर बसते जा रहे हैं, चौराहों को सजाया जा रहा है। लोग गांव से शहर की ओर भागते चले जा रहे हैं, मानो गांव से भारत की आत्मा निकली जा रही है। गांधी ने कहा था "असली भारत की आत्मा गांव में बसती हैं।"

बिहार के बाँका प्रखंड का एक गांव है प्रभावतीनगर। गांवों के बनने का इतिहास बहुत पुराना है परन्तु यह गांव सन् 1977 में बसाया गया। सर्वोदय के लोगों ने इस गांव को बसाया तथा इस गांव का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी स्व० प्रभावती जी के नाम पर रखा गया है। समाज के कमजोर, दलित एवं पिछड़े वर्ग के 17 परिवारों को यहां बसाया गया है। भूदान की जमीन को बराबर-बराबर सभी परिवारों में बाँटा गया। सभी लोगों को कच्चा मकान, हल-बैल आदि के लिए सरकार से अनुदान मिला। लोगों को पीने के पानी के लिए सरकार ने एक चापाकल लगाया। वन-विभाग ने गांवों के चारों ओर सामाजिक वानिकी लगाई।

कृषि विज्ञान केन्द्र, बांका के वैज्ञानिकों ने प्रभावतीनगर को अंगीकृत करने से पहले सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण से पता चला कि गांव वालों की दशा अत्यधिक खराब है। गांवों में शिक्षा का अभाव है। लोग वर्षा पर आधारित खेती पर निर्भर हैं। सिंचाई के नाम पर एक कुँआ है जिससे ज्यादा से ज्यादा 5-7 एकड़ जमीन सिंचित की जा सकती है। गांव में सरकार ने तालाब भी बनाया है परन्तु ज्यादा गड्डा न होने के कारण रबी तक सब पानी उपयोग में आ जाता है। गांव के लोग देशी बकरी पालते हैं। वन-विभाग द्वारा जलावन की लकड़ी के पौधों के अलावा कुछ फलों के वृक्ष भी लगाये गये हैं। महिलाओं को कुशल ग्रहणी बनाने की व्यापक गुंजाइश है।

कृषि विज्ञान केन्द्र, बांका ने प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम के अन्तर्गत इस गांव को अंगीकृत किया है। सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशु विज्ञान तथा गृह विज्ञान के वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण के आधार पर व्यक्तिगत सम्पर्क से गांव की समस्या का अध्ययन कर गांव के विकास के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना से गांव वालों के मुरझाये चेहरों को मुकराहट में बदला जा सकता है। प्रयास है गांव के उत्पादन बढ़ें, उत्पादन बाजार में जाए, लोगों को रोजगार मिले, महिलाओं में छोटे-मोटे दस्तकारी के हुनर आयें, बच्चे पढ़ें, गांव में खुशहाली आए। सन् 1985 के खरीफ में सस्य विज्ञान विभाग द्वारा प्रभावतीनगर की ऐसी जमीन पर सुआन मक्का की खेती की गई जहां अब तक कोई फसल नहीं ली गई। लोगों को इस खेती के लिए प्रशिक्षण दिया गया। उनके हाथों से फसल लगवाई गई। नई तकनीक से केन्द्र के वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास किया। किसानों ने मेहनत की तो भगवान ने भी साथ दिया। इस वर्ष मक्का की अच्छी फसल आई। गांव के किसान श्री प्रकाश पंडित एक शाम अपने गांव में मिला। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मक्का की उपज के बारे में पूछने पर बताया कि हुजूर "इस साल 8-10 महीने की खर्ची चल जाएगी।" दल के साथ आये हमारे प्रशिक्षण आयोजन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए उन्होंने हम सब से कहा कि हमारी पढ़ाई तथा इस तकनीक का सही प्रमाणपत्र आज हमें मिल गया। इस बार रबी में चना और गेहूं की खेती प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई है। फसल बहुत अच्छी है, किसान प्रसन्न हैं।

पशु विज्ञान के वैज्ञानिक इस गांव के सभी किसानों को सुधरी किस्म की बकरी देना चाहते हैं। इन बकरियों का वैज्ञानिक ढंग से पालन सिखाना चाहते हैं तथा उनका दृढ़ विश्वास है कि बकरी पालन से पचास फीसदी से ज्यादा बढ़ कर आय उन्हें अर्जित होगी।

उद्यान विज्ञान के वैज्ञानिकगण गांव में घरेलू उपयोग के लिए सब्जी लगवा रहे हैं। उनका सोच है कि उनकी तकनीक से न सिर्फ घरों के आस-पास की जमीन को सब्जी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है बल्कि महिलाएं अपने लिए अतिरिक्त आय कर सकती है। उद्यान वैज्ञानिकों ने गांव में आम अमरूद और नीबू की

पौध लगाई है। वे इस गांव में इन फलों का बाग लगाना चाहते हैं जिससे आने वाले दिनों में इन वृक्षों से अतिरिक्त लाभ कमाया जा सके।

केन्द्र की गृह वैज्ञानिक घरों में जा-जाकर महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं। किसान के उत्पादन को घरों में आने के बाद उसका सही उपयोग, बच्चों एवं महिलाओं में शिक्षा का प्रसार, घरों में स्वच्छता, पौष्टिक खाद्यान्न का उपयोग तथा महिलाओं में सिलाई-बुनाई की दस्तकारी का हुनर बता रही है।

गांव में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, पशुपालन से गांव वासियों की पचास फ़ीसदी आमदनी बढ़ेगी, सब्जी एवं फलों के उत्पादन से किसान घर के इस्तेमाल के साथ-साथ अतिरिक्त आय कमायेंगे तथा गृह विज्ञान की मदद से चीजों के सही इस्तेमाल तथा परिवार की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान होगा।

कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना ग्रामीण भारत की संस्कृति तथा उसकी आवश्यकता के अनुरूप है। ऐसे केन्द्रों द्वारा भारत की तसवीर को बदला जा सकता है। और अगर कहीं यह केन्द्र पूर्ण रूप से भारत की तसवीर को बदलने में सक्षम न हो पाए तो मुझे विश्वास है कि कवि दुष्यन्त की ये पंक्तियां अवश्य फलीभूत होंगी—

"सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं
मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए।"

□ **कृषि विज्ञान केन्द्र, बाँका**
बिहार

किसानों और दस्तकारों के साथ अब धोखाधड़ी नहीं की जा सकेगी

शीघ्र ही शुरू की जा रही एक नई योजना के तहत अब बैंक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ उठाने वालों को सीधे ही ऋण और अनुदान सहायता देंगे। अब तक यह राशि उपकरणों और पशु धन मुहैया कराने वालों को दी जाती थी।

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस योजना को प्रायोगिक आधार पर चलाने की स्वीकृति दे दी है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि लाभ उठाने वाले लोग स्वयं ही बातचीत करके प्रस्तावित वस्तुओं को उचित दाम पर खरीद सकें।

इस योजना में यह प्रावधान है कि प्रतिष्ठित सप्लायरों द्वारा बाजार में लाई गई अच्छी किस्म और ब्रांड की वस्तु प्राप्त किए जाने की स्थिति में लाभकर्ता को उसकी इच्छा की वस्तु खरीदने की स्वतंत्रता होगी। बैंक तब ऋण प्राप्तकर्ता के नाम से बचत खाता खोलेगा या उसे इस शर्त पर नकद राशि देगा कि ऋण प्राप्तकर्ता बैंक के पास खरीदी हुई वस्तु की रसीद जमा कराएगा।

उद्योग सेवा और व्यवसाय क्षेत्र (आई० एस० बी.) के तहत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ उठाने वालों द्वारा कई प्रकार की वस्तुएं खरीदने की स्थिति में 3000/- रु० तक का वितरण नकद किया जाएगा। यह राशि एकमुश्त अथवा किश्तों में दी जाएगी और खरीदे जाने वाले उपकरणों पर निर्भर करेगी। ऐसी स्थिति में लाभ प्राप्तकर्ताओं को कैश मेमो, बीजक, वाउचर प्रस्तुत करने के स्थान पर उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा। ऐसे मामलों में ऋण वितरण के बाद बैंक के क्षेत्र अधिकारियों के मौके पर जाकर निरीक्षण की व्यवस्था की गई है।

पशुपालन से सम्बन्धित कार्यक्रमों में खरीद समितियां समाप्त कर दी गई हैं तथा लाभप्राप्तकर्ता को उसकी पसंद का पशु खरीदने की और सप्लायर से रसीद लेकर भुगतान करने की अनुमति होगी। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण लेने वाले को स्वयं ही पशु की किस्म का मूल्यांकन करने और मोल भाव करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन बैंक के क्षेत्रीय अधिकारियों को एक निश्चित अवधि में ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा वास्तविक रूप से पशु खरीदने के बारे में जांच करनी होगी।

योजना में बीमा करने की एक व्यावहारिक समस्या आती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सामान्य बीमा निगम से कहा जा रहा है कि बैंक ऋण और अनुदान सहायता प्राप्त करने वालों के लिए ऋण और बीमा करने की व्यवस्था निगम ही करेगा। □

समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास : असफलतायें एवं सुझाव

डा० के०एन० सिह

डा० के०के० सिंह

समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास की संकल्पना ग्रामीण क्षेत्र की सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं का समाकलन तथा क्षेत्रीय सन्दर्भ में उनके मध्य सक्षम कार्यात्मक अन्योन्य क्रियाओं के विवेचन से सम्बन्धित है। इसका परम लक्ष्य क्षेत्र के सन्तुलित विकास हेतु सामाजिक-आर्थिक क्रियाओं का अनुकूलतम स्थान निर्धारण एवं आर्थिक प्रगति के माध्यम से एक उर्ध्वोन्मुखी समाज का सृजन करना है। इस परिप्रेक्ष्य में समन्वित ग्रामीण विकास के सर्वांगीण उपागम की उत्पत्ति ग्रामीण क्षेत्रों में विपन्नता एवं द्वैधात्मक अर्थतंत्र के विभिन्न कारणों यथा-उच्च जन्मदर, बेरोजगारी, कृषि निवेषों एवं प्राविधिकी की अनुपलब्धता, सक्षम ग्रामीण संस्थाओं एवं प्राधिकृत जन-सहयोग के साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के अभाव जैसी समस्याओं के निराकरण से संबंधित है। परिणामतः समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास की संकल्पना समाकलन के विविध आयामों (कार्यात्मक, प्राविधिक, भू वैन्यासिक, सामाजिक एवं सामयिक) को सम्मिलित करती हैं, जो क्षेत्र विशेष के अधिवासतंत्र एवं संरचनात्मक प्रतिरूपों में विभिन्न समाविष्ट रूपों में संगठित होते हैं। कार्यात्मक समाकलन से अभिप्राय सभी प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया कलापों के समाकलन से है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग एवं अन्य सेवाएं, जो मानव के दैनिक जीवन-यापन हेतु आवश्यक हैं, परस्पर सम्बन्धित हैं। उपर्युक्त कार्यकलाप एक दूसरे से इस प्रकार परस्पर अन्तर्ग्रन्थित होते हैं कि एक में परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन का कारण बन जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास का अभिप्राय अर्थतंत्र के तीनों प्रखण्डों में विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार संचालित करने से है कि सम्यक् एवं संतुलित विकास की स्थिति बनी रहे। इस प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास नगरीय एवं ग्रामीण जीवन के बीच की खाई को कम करने के साथ ही विभिन्न आय वर्गों में विद्यमान असमानता के न्यूनीकरण की एक नीति है।

समन्वित ग्रामीण क्षेत्रीय विकास के सिद्धान्त एवं उसकी सफलता के सन्दर्भ में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं परन्तु सभी विद्वद्जन इस बात से सहमत हैं कि भारत जैसे विकासशील राष्ट्र की नियोजित प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। ग्रामीण विकास एवं कृषि विकास सामान्य व्यक्ति की भाषा में पर्याय रूप में माना जाता है जबकि वास्तविकता यह है कि समन्वित ग्रामीण विकास-प्रक्रिया की आत्मनिर्भरता हेतु एक ऐसे उत्पादक कृषि तंत्र की आवश्यकता होती है जो सामाजिक सेवाओं एवं सुविधाओं के विकास हेतु सात्य रूप से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा सके। यह एक समन्वित बहुप्रखण्डीय गतिविधि है, जिसके अन्तर्गत कृषि-उत्पादकता में अभिवृद्धि के साथ ही जनहित में सामाजिक सुविधाओं का विकास सम्मिलित होता है।

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के उद्देश्य तथा उस पर व्यय के परिप्रेक्ष्य में उसकी उपलब्धियों का विश्लेषण हमारे नियोजकों, नेताओं एवं सामान्य शुभ चिन्तकों के समक्ष एक सन्देहपूर्ण जटिल प्रश्न उपस्थित करता है। क्या इस विशद् धनराशि विनीयोग में की जाने वाली योजना का लाभ कभी भी वास्तविक रूप में ग्रामीण परिवेश में निवसित समुदाय तक पहुंच पाएगा? क्या सरकार द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले उन निर्धनतम् व्यक्तियों के जीवन निर्वहन के ढंग में सुधार या बदलाव आ सकता है जो अपने जीवन का अधिकाधिक समय केवल सुबह और सायं लेने वाले भौज्य पदार्थों के संकलन में ही गुजार देते हैं तिस पर भी या तो भूखे सो जाते हैं या प्राप्त भोज्य पदार्थ में पौष्टिक तत्वों की इतनी अल्पता रहती है कि अर्द्ध भूखे शब्द से संज्ञायित किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में किये गये गहन व्यक्तिगत सर्वेक्षण एवं सन्दर्भित समस्या से सम्बन्धित किए गए पूर्व अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों, उपलब्ध अनुसूचनाओं एवं प्रकाशित प्रतिवेदनों तथा आनुभाविक प्रेक्षणों के आधार पर सहज रूप से यह निष्कर्ष तथा उद्घाटित किया जा सकता है कि ग्रामीण विकास के सम्बन्धित विविध कार्यक्रमों एवं विशद् धनराशि वाली योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष लाभ अब तक केवल अभिजात्य वर्ग को ही प्राप्त हुआ है जो मूर्त रूप में गोचर है। ग्रामीण निर्धन वर्ग या तो इससे सम्बन्धित लाभ से वंचित रहा है या आंशिक रूप से ही इसका लाभ प्राप्त कर सका है। यह भी देखने को मिला है कि जिन लोगों को बेहतर जीवनस्तर प्रदान करने के लिए विविध प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की गयीं वह यह जान तक नहीं पाए कि इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का शाब्दिक अर्थ क्या है। फिर यह चिन्तन करना कि उनके जीवन स्तर में किस हद तक विकास हुआ, मात्र एक कोरी कल्पना होगी। ग्राम्य समाज के निर्धन वर्ग में विद्यमान अल्प साक्षरता, निरीहता, पिछड़ापन, अंधविश्वास, समस्याओं के प्रति उदासीनता तथा परस्पर संगठन की भावना का अभाव इत्यादि तत्व इस प्रकार की स्थिति के लिए प्रमुख रूप से उमड़कर सामने आए हैं। इसके साथ ही इस योजना के क्रियान्वयन में भी अनेक सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक त्रुटियां परिलक्षित होती हैं। आम अनुच्छेदों में समन्वित ग्रामीण विकास योजना से सम्बद्ध मुख्य समस्याओं, दुरुहताओं एवं बाधाओं का संक्षिप्त विवेचन एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं जिनको ध्यान में रखकर योजना का क्रियान्वयन किया जाए तो

बहुत सम्भव है कि इसके लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी।

(1) प्रस्तावित ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी विकासखण्डों को आधारभूत इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है तथा सभी विकासखण्डों के लिए लगभग समान वित्तीय सहायता का प्राविधान है, जो सर्वथा अनुचित है क्योंकि प्रत्येक विकासखण्ड में क्षेत्रीय संसाधन एवं लक्ष्य वर्गों (लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन एवं गैर कृषक श्रमिकों) की संख्या तथा कृषि एवं औद्योगिक विकास स्तर एक दूसरे से स्पष्टतया भिन्न हैं। साथ ही प्रत्येक विकास खण्ड की अपनी मूलभूत क्षेत्रीय समस्याएं हैं जो एक दूसरे से पृथक हैं। अतः वित्तीय सहायता अनुदानित करते समय उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक ही नहीं अपितु अपरिहार्य भी है जिससे प्रत्येक विकास खण्ड को आवश्यकतानुरूप धन प्राप्त हो सके। इस प्रकार का आनुपातिक वितरण ज्यादा श्रेयस्कर एवं न्यायोचित होगा।

(2) विकासखण्डों का सीमांकन बहुत हद तक तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन्हें सीमांकित करते समय भौगोलिक विशेषताओं पर रंचमात्र भी ध्यान नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप प्रत्येक विकास खण्ड की अपनी विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं हैं। साथ ही प्रत्येक विकास खण्ड की जनसंख्या में निर्माण अवधि की तुलना में अत्यधिक बढ़ गया है जबकि विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं में संलग्न व्यक्तियों की संख्या में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पायी है। विकासखण्ड मुख्यालय से ही क्षेत्र विशेष को तकनीकि, प्राविधिकी, कृषि, स्वास्थ्य, एवं शस्य सुरक्षा सम्बन्धी सेवाएं तथा सुविधाएं प्रसारित की जाती हैं। ये मुख्यालय विकास खण्ड के सीमान्त क्षेत्रों में जब अवस्थित होते हैं। तब कर्मोपलक्षी क्षेत्र के प्रत्येक भाग से न तो कृषक समुदाय यहां तक आ पाता है न ही इन केन्द्रों से सम्पूर्ण सेवा क्षेत्र को सेवायें तथा सुविधाएं पहुंच पाती हैं। इस रूप में अधिवास घनत्व या जनसंख्या घनत्व के आधार पर विकास खण्डों का पुनः सीमांकन तथा विकास केन्द्रों की संस्थापना एवं बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में विकास सम्बन्धी सेवाओं में संलग्न व्यक्तियों की संख्या में अभिवृद्धि परमावश्यक है।

(3) सम्प्रति अनुदान एवं ऋण के रूप में प्रदान की जाने वाली धनराशि की अल्प तथा सीमान्त मात्रा एवं अल्पकालिक ऋण अवधि को देखते हुए विपन्न जनसंख्या को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का नारा देना अविवेकपूर्ण प्रतीत होता है। अतः वित्तीय सहायता एवं ऋण की मात्रा तथा ऋण की अवधि में वृद्धि पूर्णतया अपेक्षित है।

(4) प्रचलित गरीबी रेखा का निर्धारण तर्कसंगत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। इसके आधार पर चयनित परिवार अधिकांशतया निर्धन वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते। परिणामस्वरूप बहुत से परिवार विविध योजनाओं एवं कार्यक्रमों से मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं। अतएव गरीबी रेखा का अविलम्ब सही निर्धारण किया जाय। गरीबी रेखा को स्पष्ट परिभाषित किया जाय जिससे चयन प्रक्रिया में उन्हीं परिवारों को सम्मिलित किया जा सके जिन्हें विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है।

(5) लक्ष्य वर्ग के परिवारों की चयन पद्धति अत्यधिक लचीली एवं त्रुटिपूर्ण है, जिसके परिणामस्वरूप निर्धन परिवारों के स्थान पर अधिकांशतः समाज के प्रभावशाली व्यक्ति भ्रष्ट तरीकों से अपने निजी सम्बन्धियों अथवा विश्वसनीय व्यक्तियों के नाम पर उक्त वित्तीय सहायता प्राप्त कर लेते हैं। इस दृष्टि से योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रशासन विशुद्ध छानबीन एवं कड़ाईपूर्ण निरीक्षण एवं छानबीन के उपरान्त ही लक्ष्य वर्ग के परिवारों की सूची तैयार करे। चयन प्रक्रिया को कठोर एवं गुणात्मक बनाने की महती आवश्यकता है।

(6) सभलाभार्थी परिवारों का एक साथ विचार तथा चयन न होने से ग्राम्य स्तर पर निर्बल वर्ग में आपसी तनाव, ईर्ष्या एवं कटुता तथा वैमनष्यतापूर्ण वातावरण का सृजन हो जाता है जिसमें समाज में अन्तर्कलह तथा अन्तर्द्वन्द्व का प्रादुर्भाव हो जाता है जो प्रायः सभी प्रकार के कार्यों की सम्पन्नता में बाधा उत्पन्न करता है। उक्त समस्या के निवारण हेतु सभी लाभार्थी परिवारों का एक साथ चयन हो एवं चयनित जनों से सम्भन्धित सूची के अन्तिम रूप से प्रकाशन के बाद ही उससे सम्बन्धित लोगों को क्रमशः लाभान्वित किया जाना चाहिए।

(7) लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विविध कार्यक्रमों में केवल अनुदान के प्रतिशत में अन्तर रखा गया है, जिससे इस तथ्य का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है कि किस जोत वाले कृषक को किस प्रकार की सुविधा प्रदान की जाय। उदाहरणार्थ जिस कृषक की जोत आधा हैक्टेयर से कम है उसके लिए भारी कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराना पूर्णतया निरर्थक होगा क्योंकि एक तरफ सरकार द्वारा प्रदत्त छूट के बाद भी उसे विशद् धनराशि को सीमित अवधि में जमा करना होगा तो दूसरे तरफ उस विशद् धनराशि से क्रय किये गये कृषि संयंत्र से स्वकार्य के सम्पादन के बाद वह उसका अन्यत्र उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि सहायक कार्यों जैसे-यातायात एवं परिवहन तथा संयंत्रण द्वारा जुताई बुवाई के कार्यों का अभी व्यापक स्तर पर विस्तार नहीं हो पाया है। इस रूप में उतनी विशुद्ध धनराशि का कोई सार्थक परिणाम नहीं दिखाई देता।

(8) लघु एवं कुटीर उद्यमकर्मी में सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण के अभाव एवं उत्पादित वस्तु के विपणन का समुचित प्राविधान नहीं होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में वस्तुतः सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं सहायता का

वास्तविक उद्देश्य ही लुप्तप्राय हो जाता है तथा विनियोजित धनराशि का उचित प्रतिफल नहीं मिलता। उक्त समस्या के समाधान के लिए विकासखण्ड मुख्यालय पर सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा, उचित दर पर कच्चे माल की आपूर्ति तथा धनराशि माल का खादी ग्रामोद्योग जैसी वितरण प्रधान संस्थाओं के माध्यम से विक्रय की समुचित व्यवस्था अनिवार्य है।

(9) सामान्यतया लाभार्थी को ऐच्छिक व्यवसाय करने के लिए ऋण नहीं दिया जाता जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी आर्थिक क्षमता में न तो अभिवृद्धि कर पाता है न ही अपने परम्परागत व्यवसायों को विकसित तकनीकी के अनुसुर स्थापित कर पाता है। इस सन्दर्भ में ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ऐच्छिक व्यवसायों एवं उद्यमों को प्राथमिकता दी जाय। इसके साथ ही बैंक के कर्मचारी अनुदान व ऋण देने में लाभार्थी को अनावश्यक एवं अनैतिक ढंग से परेशान करते हैं। इससे सम्बन्धित एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि योजना के क्रियान्वयन में संलग्न कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व का सही अर्थों में निर्वाह नहीं करते तथा योजना की सफलता में बहुत कम रुचि रखते हैं जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी का मनोबल टूट जाता है और अन्ततोगत्वा वांछित उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया इतनी लम्बी है तथा इसमें इतने अधिक लोग संलग्न हैं कि प्राप्त कर्ता सभी सम्बन्धियों से सम्पर्क करके उचित परामर्श नहीं प्राप्त कर पाता है। यही नहीं लाभार्थी निर्धारित ऋण राशि का एक वृहद् भाग ऋण वितरण प्रणाली में संलग्न व्यक्तियों को ही यथासमय ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से आबंटित कर देता है। इस रूप में सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि में निहित छूट आबंटित राशि के बराबर हो जाती है जिससे ऋण प्राप्त करने वाले अन्य लाभार्थी उदासीन होने लगते हैं। इस त्रुटि को दूर करने के लिए विकासखण्ड स्तर पर योजना से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नैतिक स्तर को ऊंचा रखने के साथ ही सीधे विकासखण्ड मुख्यालय से लाभार्थी को अनुदान व ऋण की नकद धनराशि अथवा चैक प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां पर भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी सुरक्षात्मक व्यवस्था का होना वांछित है।

(10) योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त लाभार्थियों की कार्यप्रणाली एवं प्रगति का योजना अधिकारियों द्वारा सामयिक निरीक्षण तथा उनका विश्लेषण एवं विवेचन अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तिगत सर्वेक्षण के माध्यम से यह बात स्पष्ट हुई है कि लाभार्थी जिस उद्देश्य से इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करते हैं उसका सम्पादन न करके प्राप्त धनराशि का उपयोग अन्य अलाभकारी क्रिया-कलापों में करते हैं। सामान्यतया वे इस भावना से ग्रसित होते हैं कि या तो ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि वापस ही नहीं करनी है या सरकार स्वयं ऋण से मुक्त कर देगी। परिणामस्वरूप लाभार्थी प्राप्त धनराशि का एक विशद् भाग अनार्थिक कार्यों के सम्पादन में खर्च कर देता है तथा शेष धन से लिए गए व्यवसायों के प्रति शनैःशनैः उदासीन होने लगते हैं जिससे लाभ के स्थान पर उन्हें हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार एक तरफ उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है जिसके लिए उक्त योजना के माध्यम से सरकार ने विशद् धनराशि विनियोजित किया है। दूसरे तरफ ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है जो उन्हें अन्ततः ऋण ग्रस्तता का शिकार बना देता है।

(11) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की वास्तविक सफलता के लिए योजना के क्रियान्वयन में ग्रामीण निवास्यतंत्र के निर्धन व्यक्तियों की यथासम्भव अधिकाधिक हिस्सेदारी होना परम् आवश्यक है। अतः परियोजना को वस्तुपरक, अर्थपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने के लिए योजना परिषद एवं निर्णय लेने वाली अन्य संस्थाओं में सर्वप्रथम ग्रामीण निर्धन वर्ग की भूमि का निर्धारण अपेक्षित है। समन्वित ग्रामीण विकास की उद्देश्य पूर्ति हेतु प्रस्तुत की जाने वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों में निर्माण से लेकर उसके परिचालन तक की सम्पूर्ण अवधि में ग्रामीण मजदूरों एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों का वांछित सहयोग एवं प्रतिनिधित्व, साथ ही समाजसेवी संस्थाओं का स्वार्थरहित सहयोग अनिवार्य है ताकि ग्रामीण समाज के निर्धन व्यक्तियों को राष्ट्रीय विकास की गतिविधियों से सही रूप में सम्बद्ध किया जा सके। लक्षित वर्ग के निकटस्थ प्रबुद्ध व्यक्तियों का कार्यान्वयन की प्रक्रिया में शामिल करना लाभकारी सिद्ध होगा।

(12) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सफल व्यावहारिक क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण निर्धन वर्ग में जागरुकता पैदा करना नितान्त आवश्यक है क्योंकि जब तक गांव का निर्धन व्यक्ति स्वयं अपनी समस्याओं एवं अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं होगा तब तक वर्तमान व्यवस्था में उसे योजना का पूर्ण लाभ मिलना असम्भव है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन व्यक्तियों के शक्तिशाली संगठन जो विकास योजनाओं के निर्माण एवं उनके सफल क्रियान्वयन दोनों में अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह कर सकें, का निर्माण एक अनिवार्यता है। यह संगठन भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर एक तरफ एक दबाव डालेगा तो दूसरे तरफ समूह के रूप में कार्य करते हुए समाज के निर्बल वर्ग को सामाजिक न्याय और योजना का पूर्णरुपेण लाभ दिला सकेगा। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने खेतिहर मजदूर की परिभाषा में जिन्हें सम्मिलित किया है। उसी दृष्टि से ग्राम स्पर पर तीनों वर्गों के व्यक्तियों का एक सामूहिक संगठन अपेक्षित है, जो जाति, धर्म और व्यवसाय की संकुचित भावना से ऊपर उठकर, खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाने हेतु तथा सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का कार्य करें तथा साथ ही ग्रामीण निर्धनों की आय बढ़ाने व बेरोजगारी दूर करने के आर्थिक कार्यक्रम अपना। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण निर्धन जनता में निश्चित रूप में अपने अधिकार के प्रति जागरुकता का संचार होगा एवं योजनाओं की सफलता प्राप्ति में पर्याप्त सहायता मिलेगी। □

योजना से साभार

ग्रामीण कार्यक्रमों से बदलते गांव

नया खेड़ा में लगभग 10 वर्ष पहले एक प्राइमरी स्कूल चलता था बिना भवन का-दिन में वहां छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते थे, रात को वहीं 'बाड़ा' बन जाता था, वहां गाय-भैंसे बंधा करती थीं। गांव में न गलियां थी न नालियां। गंदगी ही गंदगी-अंधेरा ही अंधेरा-वहां बिजली नहीं थी। विकास शब्द से किसी ग्रामवासी का परिचय नहीं था। आज सब कुछ बदल गया है। नयाखेड़ा गांव नया-नया हो गया है।

अब एक पक्का भवन है। जहां प्राइमरी स्कूल चलता है। रात को बिजली चमचमाती है। गलियां भी हैं नालियां भी। एक सामुदायिक शिक्षा (विकास) केन्द्र है। गांव के बच्चों, पुरुष-महिलाओं के स्वास्थ्य का परीक्षण करने पर हफ्ते में एक डाक्टर वहां आता है। नगर परिषद कोटा की तरफ से एक टेलीविजन भी वहां लगा दिया गया है।

नयाखेड़ा गांव कोटा बूंदी मार्ग पर कोटा से लगभग 5 कि०मी० दूर सड़क के किनारे बसा हुआ है।

यहां इतना विकास हुआ, जिसका सम्मिलित श्रेय कई संस्थाओं को जाता है। ये संस्थाएं हैं—यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा 1 दिसंबर 1980 को स्थापित समिति, कुनेड़ी, नगर परिषद्, कोटा तथा राज० प्राथमिक शाला, नयाखेड़ा के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षा केन्द्र के समन्वयक श्री शिवप्रसाद 'विजय'।

618 पुरुषों तथा 563 महिलाओं की जनसंख्या वाले इस गांव में सामुदायिक शिक्षा केन्द्र बच्चों का पालना केन्द्र चलाता है जिसमें सहायता दे रही है करणी नगर विकास समिति। इस समिति ने बच्चों के लिए पालने दिए हैं। ग्रामीण पुरुष-महिलाएं काम पर जाने से पहले अपने छोटे-छोटे बच्चों को यहां छोड़ जाते हैं। केन्द्र की एक महिला उनकी देखभाल करती है।

इस केन्द्र ने 21 परिवारों को 3,92,800 रुपये की ऋण सुविधाएं सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई। गांव में 7 हैण्डपम्प, 2 शौचालय, 200 मीटर लम्बी सड़कें, 600 मीटर लम्बाई की नालियां बनवाई गई हैं।

केन्द्र की स्थापना से अब तक 105 बच्चों को पोलियो ड्राप्स, 115 को डी.पी.टी. व खसरा के टीके, 520 गर्भवती महिलाओं को टिटनेस इन्जेक्शन तथा 925 पुरुष-महिलाओं को निःशुल्क दवा वितरित की गई। करणीनगर विकास समिति यहां एक डाक्टर भेजती है हर हफ्ते।

केन्द्र द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत 50 को बागवानी कार्य, 5 को गोटा किनारी, 28 को सिलाई, 9 को ऊन बुनाई, 20 को प्लास्टिक केन वर्क, 16 को प्लास्टर आफ पेरिस वर्क तथा 15 को हैण्डी क्राफ्ट में प्रवीण किया गया।

इस तरह सरकारी एजेन्सियों व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से यह ग्राम विकास की ओर अग्रसर हो गया है। □

भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों (आवरण पृष्ठ 2 का शेष)

किया जा रहा है। इनमें 9 समूहों के अंतर्गत 153 महिला दरी पट्टी बनाने के उद्योग से, 3 समूहों की 60 महिलाएं सिले हुए वस्त्र उद्योग से, 15 महिलाओं का एक समूह हैण्डलूम उद्योग से तथा दो समूहों की 31 महिलाएं दुग्ध विकास कार्य से आर्थिक लाभ प्राप्त कर रही हैं।

दरी व फर्श उद्योग में कार्यरत सभी 153 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 63 हजार 773 रुपये मुल्य के हथकरघे उपलब्ध कराये गये तथा प्रत्येक समूह को उत्पादन कार्य के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनांतर्गत कार्यशील पूंजी भी दिलाई गई है। इस उद्योग में लगी प्रत्येक महिला रोजाना 10 से 15 रुपये पारिश्रमिक के रूप में अर्जित कर रही हैं।

इसी प्रकार सिले हुये वस्त्र उद्योग के लिए 60 महिलाओं को भी प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद सिलाई मशीनें एवं 26 हजार रुपयों की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई गई। इस उद्योग से भी प्रत्येक महिला प्रतिदिन 10 से 15 रुपये पारिश्रमिक के रूप में अर्जित कर रही है। परियोजनांतर्गत 15 महिलाओं को हैण्डलूम उद्योग के लिए 13 हजार 750 रुपये के हथकरघे दिलवाये गये तथा डेयरी कार्यक्रम के अंतर्गत 31 महिलाओं को उन्नत नस्ल की गायें व भैंसे उपलब्ध कराई गई।

जिन स्थानों पर महिला कार्य कर रही हैं वहां बच्चों की देख रेख, शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं पर शिशुगृह, योजनान्तर्गत यूनीसेफ मंद से 3 हजार रुपये व्यय किये जाकर झूले, स्लेट, पेन्सिल, पुस्तकें, दरी व श्याम पट्ट उपलब्ध कराए गए जिनसे वर्तमान में 290 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार आलोच्य अवधि में 15 महिला समूहों की 215 महिलाओं को हस्ताक्षर ज्ञान कराया गया और 14 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र व 10 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भी खोले गये हैं।

इसके अलावा योजना के तहत 31 महिलाओं के अल्प बचत खाते खुलवाकर तथा 250 गृहणियों के धुआं रहित चूल्हे बनवा कर ग्रामीण महिलाओं में अच्छी आदतों का विकास किया जा रहा है। □

द्वारा:- राम लाल टेलर
182, वकील कोलोनी
भीलवाड़ा-311001 (राज०)

होठों को लाल करते-करते इनकी कमर झुक गई

नटवर त्रिपाठी

पोष का महिना। दुपहरी में भी शरीर बेध देने वाली सर्द हवायें। छितरे-बितरे खेत, इक्के-दुक्के स्त्री-पुरुष। सिर पर सफेद पगड़ी, तन पर फटी बगतरी, घुटने-घुटने धोती और करसाणी पगरखी पहने। घेर-घूमेरे ईमली के पेड़ के नीचे खेत की मुण्डेर पर 65 वर्षीय नारायण तम्बोली धूप और आग एक साथ सेक रहा—अपनी पनवाड़ी रखवाल रहा है।

मीठी मेवाड़ी मनुहार

मैंने पान की खेती और पनवाड़ियों की स्थिति को जिज्ञासा प्रकट करते हुए वृद्ध से देशी तौर तरीके से राम राम की। उत्तर में वृद्ध बोला पधारो—पधारो अन्नदाता, राम-राम "कई मनवार करां, सॉठे छूंकों, पाणी आरोग्वाओं" मीठी मेवाड़ी मनुहार को मूरत, मंद-मंद आँच के अध जले कण्डे के खीरे को लकड़ी से कुरदते हुए कड़ाके की ठण्ड की मार की ओर संकेत किया। पान की खेती का सम्बन्ध-सर्द हवाओं, जेठ के ताप और तिल तिल जलते अंगारे से जोड़ कर आँखों ही आँखों में निपट निरक्षर बूढ़े ने पान की खेती और पनवाड़ियों के अर्थशास्त्र के पन्ने खोल दिए।

जान हथेली पर

गच्च ठण्ड और कड़ाके की गर्मी में पनवाड़ियों की जान हथेली पर रहती है। गर्म-लू और बर्फीली हवाऐं पान को नहीं हमारी जिन्दगी को खा जाती है। पूरी जिन्दगी में न जाने 20-20 हजार की ये पनवाड़ियाँ कितनी ही बार उजड़ जाती हैं। हम हाथ मलते रह जाते हैं।

इसकी खेती मामूली मेहनत से नहीं होती। पल-पल हम चिन्तातुर रहते हैं। इस खेती में यूरिया खाद नहीं लगती कि संकर पान की खेती हो जाए। पान की जड़ों में दही और खली देनी पड़ती है। पहले तो मिट्टी को तेल पिलाया करते थे। इसकी बीमारी में दवा नहीं चर्मकारों की कुण्डी का पानी (रसायन) देना पड़ता है। पान उगाते-उगाते पीढ़ियाँ गुजर गई, पेट के खड्डे नहीं भरते। कच्चे कवेलू की छान पच्चीस-पच्चीस बरस पक्की छत में नहीं बदलती और न ही बदल पाती जवान बच्चों की नसीब। लम्बी सांस छोड़ता बूढ़ा बोला क्या जोड़े—क्या घटावें—मंहगाई पीछा नहीं छोड़ती। बाबू साहब! बड़े मजे से दुकान पर होठ लाल करते हो। आवभगत और खातिरों का रिश्ता निभाते हो। परन्तु किसी को जानने की क्या जरुरत कि पनवाड़ियों की झुकी कमर ठीक क्यों नहीं होती।

पनवाड़ी

बूढ़े ने लकड़ी सम्भाली। मेरे कन्धे पर हाथ रखा। तेजी से उठा और 100 फीट दूर अपनी पनवाड़ी पर ले गया। झोपड़ीनुमा पनवाड़ी के बाहर ही जूते उतारने की हिदायत करते हुए कहा लो देखलो, ऐसी होती है पनवाड़ी। मेरी आँखे फटी की फटी रह गईं। वहाँ लताऐं ही लताऐं झिलमिल झिलमिल हँस रही थीं। घास फूस और हरी भरी बेलों से ढ़की पनवाड़ी में धूप और हवा छन-छन कर आती है। 700-800 मीटर जमीन—झाड़ फानूस का टेन्ट बना हुआ है। इसमें पान की बेलड़ियां हँस रही हैं। हर कोई पान नहीं उगाता। नागर बेल देवी से पाती (इजाजत) मिलने पर तीन से पाँच बिस्वा में चैत्र के महिने में पान की बेलड़ियां गन्ने के समान बोई जाती हैं। दो बेलड़ियों के बीच एक पानी का धोरा होता है। इसमें से एक बार एक आदमी आ-जा सकता है। अंकुर फूटने तक लोट (घास की बिछावन) करनी और अंकुर फूटने व बेल बनने पर (टांचना) मिट्टी चढ़ानी पड़ती है। सिंचाई मटकों से करते हैं, जिसे 'फव्वारा' बोलते हैं।

एक पनवाड़ी 4-6 हजार की

एक पनवाड़ी में चार-छः हजार की आय होती है। एक 'बेलड़ी' वर्ष भर में बीस पान देती है। पाँच बिस्वा में लगभग 16 हजार पान उतरते हैं। 23 कतारों का 1500 रुपया ठेका होता है। एक कतार में 1000-1100 बेलड़ियाँ होती है। चार रुपया 100 पान बिकता है। रेल और मोटरों में इसे टोकरों में भेजना पड़ता है। ठण्ड और गर्मी से रक्षा के लिये रतालू, अरबी, हल्दी, टिण्डोरी, सेम, परवल की बेलड़ियाँ पनवाड़ियों में लगाते हैं जिससे नागर बेल की सुरक्षा होती है। पनवाड़ियों को इनसे अतिरिक्त होने वाली आय से कुछ सहारा मिलता है। पनवाड़ियो में 20-20 क्विंटल दही और 10-10 क्विटल खली को महीने—महीने भर सड़ा गला कर खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें भभूतिया और गंघोली रोग आ जाते हैं। इनको चमड़े के पानी, सल्फर और आयोडीन से ठीक किया जाता है।

(शेष पृष्ठ 11 पर)

क्षेत्रीय विकास में जन सहयोग

एक आवश्यकता

सूर्यनारायण त्रिपाठी

वि कास एक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत किसी क्षेत्र की आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों की रिवर्तनीय पृष्ठभूमि दिखाई देती है। इसके अन्तर्गत संसाधन वृद्धि एवं परम्परागत उद्यम से सम्प्रति में रहते रोजगार की रक्षा म्बिद्ध है जो कार्य, आय एवं भावी विकास को उत्प्रेरित करता है। ह प्रक्रिया व्यक्तियों के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कास में सहयोगी होती है। परन्तु विकास का वैज्ञानिक आधार त्र के स्वतः विकास हेतु परिस्थितियां तन्त्र की सहायता लेता है। न्वित क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत ग्रामीण, नगरीय दोनों के यात्मक पहलुओं के साथ सामजिक रूप से आबद्ध सेवाओं को ात किया जाता है। इसके लिए क्षेत्र के संसाधनों (प्राकृतिक एवं नवीय) के पूर्ण रुप से उपयोग एवं निमित्त विविध अवस्थापना रूप की वृद्धि की जाती है। यद्यपि विकास योजनाओं में समस्त य एवं अकृष्य पहलुओं के साथ ही सामाजिक सेवायें समन्वित कास में योगदान करती है फिर भी उनकी सफलता वृहत रूप से नीय सहयोग एवं राजनीतिक संस्थाओं पर निर्भर करती है। ति क्षेत्रीय विकास में इन अभिगमों के अतिरिक्त मानवीय योग की परमावश्यकता है जो स्थानीय राजनीतिक इकाइयों से द्ध है। इसके अभाव में विकास एक विडम्बना मात्र है।

ीय विकास के अभिगम

र्वकाल से क्षेत्रीय विकास में संसाधनों के अनुकूलतम् उपयोग ुए अवधारणायें प्रारंभित रही हैं। अनेकानेक देश विदेश के लवेत्ता, अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्रियों यथा लेक्सि (1954) जन (1958) एवं पेराक्स (1955) तथा वाउडबिले, स्ट्रेड ने सन्तुलन, असन्तुलन एवं ग्रोथपोल की संकल्पना की में औद्योगिक क्रान्ति को लक्ष्यित कर क्रियान्वित किया गया, फलस्वरूप आर्थिक समृद्धि के चतुर्दिक पिछड़े क्षेत्र का अवलोकन हुआ। फलतः नवीन्र विचारधाराओं में क्षेत्रीय विकास हेतु विभिन्न नियोजन प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है। चाहे वृहत, मध्यम एवं लघु किसी भी स्तर की हो, जो केन्द्र (राष्ट्र) प्रदेश एवं क्षेत्रीय स्तर पर नियोजन प्रक्रिया लागू की जाती है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण, नगरीय एवं कृषि यातायात, औद्योगिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य का अध्ययन संचारित है साथ ही प्राकृतिक परिवेश का मानवीय लाभजन्य प्रक्रिया में परिवर्तन एवं उनसे अनुकूलन, सृजन आदि से सम्बन्धित प्रक्रिया कार्यान्वित की जा रही है।

क्षेत्रीय नियोजन में मानवीय सहयोग

आर्थिक उन्नति, सामाजिक विकास एवं कल्याण तथा स्वतः सुरक्षा का समुचित सम्पादन नियोजन का उद्देश्य है। विशेषतः विकासशील देशों के सामजिक, आर्थिक विकास से सम्बन्धित और वर्तमान परिस्थितिजन्य समस्याओं का समाधान ही केवल नहीं, अपितु इसमें भविष्य के विकास के लक्षण को प्रेरित किया जाना है। इस तरह प्रजातान्त्रिक भारत देश में भी विकास के लक्षण को प्रेरित किया जाना है। इसलिए प्रजातान्त्रिक भारत देश में भी विकास की जटिल समस्या है क्योंकि इसका उद्देश्य विषमता की कमी करते हुए सन्तुलित आर्थिक, सामजिक एवं वातारण के गुणात्मक लाभ प्रदान करना है। इस सन्तुलित विकास हेतु परिस्थिति जन्य समस्याओं एवं आवश्यकताओं का समुचित ज्ञान परमावश्यक है कि सरकारी या गैर सरकारी विकास के कार्यक्रमों का सामाजिक न्याय एवं पर्यावरणीय उपभोग से किस स्तर का लाभ हो रहा है साथ ही यद्यपि इसके मार्ग में कैसी बाधायें हैं? क्योंकि नियोजक देश में एक नियोजन प्रक्रिया को सम्पूर्ण देश, प्रदेश एवं उपक्षेत्रों पर लागू करने की विचारधारा से स्थानीय

जनसहयोग को नकारात्मक रूप से छोड़ देते हैं जबकि नियोजन विकास की मशीन, संचालक अधिकारीगण तथा समुचित संचालन क्षेत्रीय परिस्थितियों की अनुरुपता पर निर्भर हैं। इसके अभाव में नियोजन एक अनावश्यक एवं झूठी बिधा है जो क्षेत्रीय विकास में असफल होकर अपेक्षाकृत दूषित/समस्याओं को प्रस्तुत करने एवं सन्तुलित आर्थिक विकास की अपेक्षा असन्तुलन उत्पन्न करने में सहयोगी होती है।

समन्वित क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन

वास्तव में क्षेत्रीय नियोजन देश के स्थानिक विकास से सम्बद्ध है जो विशेष इकाई क्षेत्र के अन्तर्गत आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति को समन्वित दृष्टि से प्रस्तुत करता है। क्षेत्रीय विकास हेतु क्षेत्र के व्यक्तियों की इच्छाओं का संक्षिप्त परिवेशीय ज्ञान आवश्यक है कि क्षेत्र के संसाधनों का किस सीमा तक उपयोग तथा स्वत: आर्थिक, सामाजिक उन्नति हेतु अनुकूलतम् नीतियों का परिवर्तन एवं मूल्यांकन हो रहा है। समन्वित क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से क्षेत्र का सर्वेक्षण, विभिन्न पहलुओं यथा कृषि, औद्योगिक, ग्रामीण एवं नगरीय, आर्थिक तथा तकनीकी एवं इसके विकास के मूल माध्यम यातायात शक्ति संचालन एवं अन्य शैक्षिक, स्वास्थ्य प्रसार अवस्थापना स्वरूपों का वातावरण प्रदूषण से रक्षा आदि अध्ययन आवश्यक है।

भूगोलवेत्ताओं की दृष्टि में क्षेत्रीय विकास आर्थिक उन्नति ही नहीं वरन् सामाजिक न्याय एवं पर्यावरणीय गुणों का नियोजन है जो स्थानीय संसाधनों से सम्बन्धित होता है। क्योंकि सामाजिक विकास अर्थात जीवन के गुणों, स्तरों एवं मानव कल्याण हेतु विकास का पूर्ण अवसर प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान होता है। हमारी नियोजन प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हो परन्तु क्षेत्रीय स्तर पर प्राकृतिक परिवेश का सहयोग इसके विकास का आधार हो, जिसमें प्राकृतिक, आर्थिक एवं मानवीय क्रियाओं का समन्वयन अति आवश्यक है।

जन सहयोग की आवश्यकता

औपचारिक रूप से, विकास के विभिन्न तरीके प्रत्येक क्षेत्र में नगरीय, ग्रामीण एवं समन्वित विकास के कार्यात्मक प्रारूप को इंगित करते हैं। परन्तु क्षेत्रीय विकास हेतु जो प्राथमिक आवश्यकता अनुभव में आ रही है वह जन सहयोग की है। वास्तव में क्षेत्रीय विकास मानव केन्द्रीय होना चाहिए जिसमें मानव के विकास के तरह-तरह के कार्यक्रम सम्पादित किये जाएं। इसके लिए क्षेत्रीय नियोजन वहां की आवश्यकता के अनुरूप हो जो स्थानीय लोगों से समझा जा सकता है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रमों के संचालन के उपरान्त भी महान दुर्भिक्ष एवं पिछड़ापन का कारण कार्यक्रम की अनुपयुक्तता है जिसमें स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग को नहीं लिया जाता हैं जो उनकी आवश्यकताओं, मूल्यों एवं धाराणाओं के संचालन के तरीकों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी है। किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु जनजीवन पर कार्यक्रमों के अनावश्यक भार को रखकर सफल नहीं किया जा सकता है अपितु इसकी नैतिक सामाजिक नीतियों को उसके परिस्थितिकीय ढंग के अनुकूल परिवर्तन से संभाल किया जा सकता है।

पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत जनहित कार्यक्रम में जन समूह जैसाकि महिलायें एवं युवक ग्रामीण विकास योजना में सम्मिलित किये जाते थे। गांधीजी ने भी इसी ओर इंगित किया, आशय यह है कि उन व्यक्तियों को किन कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया जाय, इसकी जानकारी उन्ही से हो सकती है। यद्यपि कार्यक्रमों के प्रारूप में भाग लेना एक मूल्य है जो कि प्रत्येक जनसमूह तथा व्यक्तियों के प्रत्यक्ष एवं अर्थ पूर्ण ढ़ग से कल्याणकारी कार्यों का ध्यान रखता है और स्थानीय समस्याओं एवं आवश्कताओं को सामाजिक विकास हेतु प्रदर्शित करने का नेतृत्व करता है।

युवक मंगलदल, वालंटरी एजेन्सीज एवं अन्य प्रतिनिधी योजना निर्माण में सम्मिलित होते हैं। जैसा कि मर्टोन एवं रेडक्लिफ महोदय ने भी इन संगठनों का सफल योगदान माना है। परन्तु आज के वैचारिक संकीर्णता, स्वार्थपरता, राजनीतिक अलगाव की भावनाओं से गरीब एवं निर्बल को लाभित योजनाओं से वंचित या उनकी समस्याओं को अवहेलित कर देते हैं।

वालंटरी एजीन्सियों के सफल योगदान के कारण हैं। (1) ब्लाक प्रमुखों का समर्थित क्षेत्रों के कार्यक्रमों को अपने क्षेत्र के लाभ में लगा देते हैं। (iii) उच्चस्तरीय लोग निबिलवर्ग की अनभिज्ञता में कार्यक्रम का लाभ स्वत: ले लेते हैं। (vi) पंचायत राज के प्रतिनिधिगण गरीबों हेतु चालू योजना को अधिकारियों से मिलकर समाप्त कर देते है अथवा दलबन्दी के आधार बनाकर वास्तविक गरीबों को वंचित कर देते हैं। (v) राजनीतिक अवसरवादिता प्रभावित क्षेत्र में कार्यक्रमों को बार-बार चालूकर उनको लाभान्वित होने से वंचित करती है जबकि इतरेय क्षेत्र जलापूर्ति विद्युतीकरण, यातायात मार्गों एवं प्रसार सेवाओं से विहिन होते हैं।

इन कार्यक्रमों की जटिकता को समाप्त करने हेतु जनसहयोग की भूमिका आवश्यक है परन्तु प्रश्न उठता है कि सहयोग किस तरह का हो और कौन से लोग भाग लें। सीधा ही कुछ कार्यक्रमों की संचालन प्रक्रिया का इससे सम्बद्ध करना परमावश्यक है यथा: (1) पंचायत सेवक या ग्राम्यविकास अधिकारी ग्राम्यस्तर पर निर्मित योजना में निर्बल दबे व्यक्ति

की अभिव्यक्ति हेतु बैठक आयोजित करें। (ii) अनुदानित योजना को सही रूप से लागू करने हेतु ग्राम्यलोगों का सहयोग लें। (iii) बहुउद्देश्यीय योजना के क्रियान्वयन का प्रभाव अवर्गों के प्रतिनिधियों द्वारा दिया जाय। (iv) पंचायत राज संस्था योजना प्रक्रिया में सहयोग दें एवं उनको अन्तिम रूप देते समय सम्मिलित हों। (v) सही रूप से योजना को लक्ष्य वर्ग को इसके विषय में अवगत कराना एवं उसके प्रदान करने हेतु निष्ठापूर्वक सहयोग हों। गरीब एवं निर्बल वर्ग प्रदानित किये जायं एवं उनकी भावनाओं को लाभ की और वैचारिक प्रोत्साहन से अनुसारित किया जाय।

(vi) ग्राम्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति वर्ग विकास के वैज्ञानिक, तकनीकी पहलुओं एवं अन्य विकास के स्रोतों को जानने एवं लाभ लेने की प्रबलता को तीव्र करते हैं। आवश्यक समस्याओं में लागू योजनाओं को सभी वर्गों को लाभान्वित करने हेतु ग्राम्यस्तर समितियों के सहयोग से प्रक्रियाबद्ध किया जाय, जिसमें विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधी, ग्राम्यस्तर प्रधान, भौगोलिक परिवेश हेतु शिक्षा विदों एवं सामूहिक संस्थाओं को सम्मिलित किया जाय। इसके उपरान्त ब्लाक एवं जिले स्तर पर संस्तुति दी जाय। योजना के संचालन में बाध्यरूप से गलत काम करने वालों को दण्डित अथवा प्रोन्नति एवं अन्य सुविधाओं से वंचित किया जाए। साथ ही सफल योगदान-कर्ता को लाभान्वित एवं पुरस्कृत किया जाय। समाज एवं मानवशक्तियों ने ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व एवं व्यक्तियों में समूह में भाग लेने की तकनीकी विकेन्द्रीकरण में व्यक्तियों के भाग लेने को प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है। डी० एम (ननजुनदप्पा[5]) ने मानवीय मूल्यों को दृष्टिगत विश्लेषण किया है कि "नियोजन प्रक्रिया में सन्तोषजनक परिणाम हेतु प्रशासक, व्यवस्थापक एवं व्यक्तियों (जनप्रतिनिधि) को सम्मिलित होने की आवश्यकता है एवं योजना के निर्माण एवं प्रयोग सूक्ष्य स्तर पर अपनाना एवं सुधारने चाहिए जिससे पूर्ण प्रक्रिया हो जाय। ये कार्य-ग्राम विकास परिवर्तनीय है और जनसहयोग से ही ग्रामीण निर्धन को उपर उठाया जा सकता है।□

सन्दर्भः—

1. जाली रिचार्ड: चेन्जिग व्यू आन डेवलपमेन्टव इन सर्वे फार डेवलपमेन्ट, ए मल्टी डिसीपलीनरी एप्रोच, नीदरलैंड 1977 पे-26

2. ओटो इक्रोमाटवाहा "इकोलाजिकल एस्पेक्टस आफ डेवलपमेन्ट" इन सर्वे फार डेवलपमेन्ट 1977 पे० 37

3. अजीत सरताज: "रुरल डेवलपमेन्ट" लनिग फार चायना" पे०-139

4. रोवर्ट मलन एवं ब्राउन रेडक्लिफ: "सोसय थियरी एण्ड सोसल स्ट्रक्चर (1949) एवं" स्ट्रकचर एण्ड फंकसन इन प्रीमीटिव सोसाइटी (1952) इडिटेड इन नेवर हूड एण्ड सोसल वर्क पे०—12-13.

5. ननजुनदप्पा डी० एन० एरिया प्लानिंग एण्ड रुरल डेवलपमेंट एसोसियेटेड पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली पे०—48

□

शोधरत, भूगोल विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

होठों को लाल करते-करते इनकी कमर झुक गई....(पृष्ठ 8 का शेषांश)

पनवाड़ियों में पनवाड़ी भँवर लाल की

कानोड़ा के पनवाड़ियों में भँवरलाल की पनवाड़ी सबसे उम्दा है। इसकी 150 कतारें है। सामान्य तौर पर 80 कतारे बोते हैं। कई लोगों के दो-दो पनवाड़ियां भी है। भँवर लाल की पाँच पनवाड़ियाँ है। वह मेहनत खूब करता है। गणेशलाल, अम्बालाल, पृथ्वीराज और तुलसीराम की पनवाड़ियों के पान ऊँचे दाम पर बिकते है। कानोड़ के पान दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, चित्तोड़, प्रतापगढ़, निम्बोहेड़ा, भीलवाड़ा जाते हैं। 200-200 किलोमीटर क्षेत्र में पान कानोड़ के उपरान्त कुकडेश्वर, भानपुरा, बरपा, अमगेटा, पड़ौदा (मध्यप्रदेश), लाखेरी में हैं तथा एक दो—एक दो पनवाड़ियाँ डूंगरपुर—बाँसवाड़ा में हैं।

सांस्कृतिक महत्व व अन्तर्कथा

अन्त में वृद्ध ने नागरबेल की अन्तर्कथा मनोयोग से सुनाते हुए कहा नागर माता बेल हमारी देवी है। यह राजा वाशक की लड़की कहलाती है। सतयुग में नागर बेल की जरुरत पड़ी, तो ब्रह्म ऋषि नारद पाताललोक से लाए। यज्ञ सम्पन्न हुआ। पाँति-प्रसाद वितरित हुआ। कुमार को नागर बेल के पाँच डण्ठल दिए। उसने ग्रहण नहीं किया तो उन्हें बो दिया। सीता स्वयंबर में भी नागर बेल की जरुरत को वहाँ निकट फूल रही बाड़ी से पूरा किया गया। तभी से आज तक कोई धार्मिक कर्म बिना नागर बेल के सम्पन्न नहीं होते। इसको पैदा करने वाले तम्बोली कहलाते हैं। ये नागर बेल की पूजा करते हैं। पनवाड़ी को मंदिर की भाँति साफ सुथरा रखते है। रजस्वला स्त्रियों, गन्दे लोगों का पनवाड़ी में जाना निषिध्द है।

□

के०आर० 58
सिविल लाइन
कोटा-324001

राष्ट्रीय कृषि उत्पादन

ऋषभ देव सिंह

भारत के कुल कृषि उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में व्यापार और तटकर पर आम समझोते की रिपोर्ट में बताया गया है कि सन् 1984-85 में भारत के कुल राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मौसम में उतार-चढ़ाव के बाद भी, भारत ने कृषि उत्पादनों का स्तर ऊँचा बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है। वर्तमान समय में भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि खाद्यान्नों को निर्यात करने की स्थिति में भी है। देश में दो करोड़ टन से अधिक का सुरक्षित भंडार है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि उत्पादन है। खाद्यान्नों के उत्पादन में लगातार बढ़ोत्तरी से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। सन् 1983-84 में खाद्यान्नों का पन्द्रह करोड़ तेईस लाख सत्तर हजार टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ था। खाद्यान्नों के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त होने से, भारत को विश्व मंच पर सम्मान जनक स्थान प्राप्त हुआ है। विकासशील देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जिसे यह गौरव मिला है। इसलिए विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में भारत को अगुवा माना जाता है।

देश में खाद्यान्नों का बहुत अच्छा भंडार है और इसमें लगातार बढ़ोत्तरी होने से खाद्यान्नों के रख रखाव की समस्या बढ़ती जा रही है। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनाजों को बेचने का प्रयत्न कर रही है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के कारण सफलता मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

परोक्ष रूप से इसका असर भारत के किसानों पर भी पड़ रहा है। गोदामों में स्थान न होने के कारण, सरकारी संगठन खाद्यान्नों की खरीद में अधिक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वैसे भी सरकारी संगठन कुल राष्ट्रीय कृषि उत्पादनों का केवल तेरह प्रतिशत भाग ही खरीद पाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले पंजाब तथा हरियाणा के किसानों को सलाह दी थी कि वे गेहूं तथा धान की खेती के स्थान पर दलहनों तथा तिलहनों पर अधिक ध्यान दें क्योंकि देश में इनकी कमी है।

निश्चय ही खाद्यान्न के मामले में भारत की स्थिति अच्छी है, लेकिन दलहनों और तिलहनों, के मामले में स्थिति को संतोषजनक भी नहीं माना जा सकता। जहां तक तिलहनों के उत्पादन और खाद्य तेलों के आयात का प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तिलहनों के उत्पादन में कमी के कारण ही खाद्य तेलों का आयात करना पड़ रहा है। सन् 1983-84 में लगभग सवा सोलह लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया गया। इस आयात पर सरकार को तेरह अरब उन्नीस करोड़ रुपयों के बराबर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। इस समस्या का हल देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ा कर ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में वैज्ञानिकों, सरकार तथा किसानों द्वारा किए जा रहे मिले-जुले प्रयत्नों लाभकारी परिणाम मिलने लगे हैं। सन् 1983-84 में तिलहनों क उत्पादन बढ़ कर एक करोड़ तीस लाख टन हो गया था। स 1984-85 में तिलहनों के उत्पादन के बारे में अनुमान है वि उत्पादन एक करोड़ पैंतीस लाख टन से भी अधिक हुआ है निश्चय ही यह एक शुभ लक्षण है।

सरकार ने सन् 1998 तक तिलहनों से उत्पादन का लक्ष्य एव करोड़ अस्सी लाख टन तय किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने व लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक अरब सत्तर करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान है। तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने सबसे बड़ी रुकावट, उन्नतशील बीजों की कमी और बीमारिय तथा कीड़ों का प्रकोप था। भारत सरकार ने उन्नतशील बीजों क उत्पादन बढ़ाने तथा विस्तार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाय है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सभी किसानों तव उन्नतशील बीजों को पहुंचाना है। वैज्ञानिक प्रयत्नों तथा प्रदर्शन क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों से पता लगाता है कि उन्नतशील जातियों व बीजों के प्रयोग से तिलहनों का उत्पादन दो गुना से अधिक ब सकता है। बीमारियों तथा कीटों पर बीज उपचार तथा फसल उपचार से नियंत्रण पाना सम्भव है। कृषि उत्पादनों को बढ़ाने म राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कृषि राज्य का विषय है। तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तिलहनों का भाव अच्छ होने से तिलहनों की खेती की ओर किसानों का भी झुकाव बढ़ रह है।

दलहनों का उत्पादन स्थिर बना हुआ है और आबादी बढ़ने व साथ मांग बढ़ रही है। दालों की उपलब्धता घट रही है और इनव भाव ऊँचे हो रहे हैं। सब मिला कर स्थिति संतोषप्रद नहीं है। दाल की समस्या का हल आयात से भी नहीं किया जा सकता। इस समस्या का हल तो घरेलू उत्पादन बढ़ाकर ही संभव है। दलहनो की पैदावार के हिसाब से वर्ष 1984-85 को दलहनों का वर्ष कह जा सकता है क्योंकि इस वर्ष दलहनों का सर्वाधिक उत्पादन द करोड़ चौबीस लाख टन था और प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धत 47 ग्राम थी। फिलहाल प्रति व्यक्ति दालों की वार्षिक उपलब्धत लगभग सत्रह किलोग्राम है। सरकार दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना व दौरान दलहनों का उत्पादन पचास लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य है

भारत की नगदी फसलों में गन्ने का प्रमुख स्थान है और इसकी खेती पूरे देश में होती है। गन्ने से चीनी तैयार करने के लिए देश का चीनी उद्योग बहुत सुदृढ़ है। साढ़े तीन सौ से अधिक मिल कार्यरत हैं। इस उद्योग में लाखों लोगों को रोजी-रोटी मिली हु है। सन् 1982 में लगभग चौरासी लाख टन चीनी का उत्पादन करके चीनी उत्पादक देशों में भारत का स्थान सबसे ऊँचा हो गया। अनुमान है कि इस साल चीनी का कुल उत्पादन साठ लाख

(शेष पृष्ठ 15 पर)

कृषि वित्त हेतु बहु अभिकरणीय अभिगम्-साख कार्ड की आवश्यकता

राजेन्द्र प्रसाद सेकड़ा

कृषि एवं ग्रामीण विकास की रणनीति में खेती हेतु संस्थागत ऋण उपलब्ध कराये जाने को विशेष महत्व दिया जाता रहा है, ताकि कृषक साहूकारों के शोषण से मुक्त हो सकें। इस दिशा में प्रथम कदम कृषि ऋण, सहकारी व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु 1904 में उठाया गया। किन्तु यह कदम देश के स्वतंत्र हो जाने तक अप्रभावी रहा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब सरकार ने अखिल भारत ग्रामीण साख सर्वे समिति की संस्तुतियों के आधार पर "ग्रामीण" साख हेतु एकीकृत योजना को स्वीकार किया तो इस दिशा में कार्य आगे बढ़ा।

"ग्रामीण साख हेतु एकीकृत योजना" मुख्य रूप से कृषि साख को पूरी तरह सहकारिता के द्वारा उपलब्ध कराया जाना था, जिस में सहकारी विपणन प्रोसेसिंग व भण्डारण को भी विशेष महत्व दिया गया। इस एकीकृत योजना का तीसरा मुख्य भाग प्रशिक्षित कार्मिकों का विकास था। सरकार ने रिजर्व बैंक से इस योजना को समायोजित व लागू करने तथा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कहा। कृषि वित्त हेतु संस्थागत ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिये 1969 तक सभी कार्यक्रम और योजनाएं सरकार की उक्त नीति से संचालित होती रही। दूसरे शब्दों में 1969 तक सभी प्रकार के कृषि—ऋण सहकारिता के माध्यम से ही उपलब्ध कराये जाने के प्रयास होते रहे।

व्यापारिक बैंको का आगमन

1969 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख पुनर्वालोकन समिति द्वारा सहकारिता के कार्य का आलोचनात्मक पुनर्वालोकन करने पर बहुत सी कमियां इसमें पायी गई। सरकार ने महसूस किया कि कृषि और ग्रामीण साख की प्रतिदिन बढ़ती आवश्यकताओं के लिए मात्र सहकारिता पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता है। और इस प्रकार कृषि वित्त में बहु अभिकरणीय अभिगम का प्रादुर्भाव हुआ और जुलाई 1969 में मुख्य व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों का कृषि व ग्रामीण साख के क्षेत्र में पदार्पण हुआ।

यद्यपि सरकार साख संरचना को सुदृढ़ करने के लिए जोर देती रही किन्तु अब साथ साथ राष्ट्रीय कृत व्यापारिक बैंकों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत रूप से शाखाएं खोलकर सभी प्रकार का कृषि-ऋण उपलब्ध कराने हेतु भी कहा गया। इस प्रकार अब एक ओर सहकारी साख संरचना को मजबूत करने के साथ-साथ दूसरी और व्यापारिक बैंकों द्वारा पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में शाखायें खोल कर विभिन्न कृषि ऋण किसानों को उपलब्ध कराने के प्रयास होते रहे।

कमजोर वर्ग हेतु विशेष अभिकरण

सन् 1975 तक उक्त स्थिति चलती रही जब कि यह महसूस किया गया कि सहकारी संस्थाएं एवं व्यापारिक बैंक दोनों ही संस्थाएं छोटे एवं सीमांत कृषक व समाज के अन्य कमजोर वर्ग तक पहुचने में असफल रही है। इसी बीच सरकार ने कृषि पर राष्ट्रीय आयोग, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हेतु कार्य दल, आदिवासी एवं जन जाति हेतु साख के लिये कार्य दल नियुक्त किये। राष्ट्रीय कृषि आयोग एवं बहुअभिकरणीय अभिगम समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने लघु एवं सीमान्त कृषकों व खेतीहर मजदूरों के लिए कृषक सेवा समितियों के गठन की संस्तुतियों को स्वीकार किया। आदिवासी और जन जाति क्षेत्रों हेतु (लैम्पस) वृहद बहु उद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना को स्वीकार किया गया।

वे पिछड़े क्षेत्र जहां कि वर्तमान अभिकरण नहीं पहुँच पाये और जहां समाज के बहुत ही कमजोर लोग रहते थे उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर कार्य दल की संस्तुतियों को स्वीकार किया और उक्त अनछुए इलाकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने की योजना को प्रारंभ किया। आज तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सभी जगह स्थापित किये जा रहे हैं। और इस प्रकार कृषि व ग्रामीण साख में इस अभिकरण का आगमन हुआ।

सहकारिता का योगदान

कृषि और इससे सम्बन्धित कार्यों के लिये ऋण उपलब्ध कराने में सहकारिता ने मुख्य भूमिका अदा की। देश के 90% से अधिक गांव सहकारी क्षेत्र में आ गये है। 1980 में कृषि साख समितियों की सदस्यता 48 मिलियन थी और इन में से २२ मिलियन ने समितियों से ऋण लिया था वास्तव में यह ही एक संस्थागत साख का सबसे बड़ा स्रोत था।

कमजोर वर्ग को ऋण उपलब्ध कराने में भी सहकारी संस्थाएं काफी आगे रही। ब्याज की भिन्न दर (डी० आइ०आर०) योजना राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों द्वारा लागू करने पर भी ये इस दिशा में अधिक सफल नहीं हो सकी। सहकारी संस्थाओं से रिजर्व बैंक ने चाहा था कि वे जो भी ऋण दे उसका 20% कमजोर वर्ग को जावे। इस लक्ष्य से भी बढ़कर सहकारिता ने अपने कुल दिये गये ऋण का 38% कमजोर वर्ग को दिया है।

कृषि पर राष्ट्रीय आयोग ने सहकारिता को कृषि साख उपलब्ध कराने हेतु महत्व पूर्ण अभिकरण माना है। आयोग ने 1985 में 94,000 मिलियन रुपयों की साख की आवश्यकता का अनुमान लगाये हैं। और इसमें से 1985 में सहकारिता को रु० 42,500 मिलियन (कुल साख आवश्यकता का 45.21%) को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

व्यापारिक बैंकों की भूमिका

राष्ट्रीयकरण के पूर्व व्यापारिक बैंक कृषि साख उपलब्ध कराने में कोई विशेष भूमिका नहीं अदा करती थी। ये बैंक मुख्य रूप से शहरी केन्द्रों की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। लेकिन जुलाई 1969 में इनके राष्ट्रीयकरण के बाद ये ग्रामीण साख उपलब्ध कराने में दूसरे बड़े अभिकरण के रूप में उदित हुई है।

जुलाई 1981 के अंन्त में अनुसूचित व्यापारिक बैंकों से कृषि हेतु सीधे वित्त 3060 करोड़ रु० दिया गया। 1980-81 के दौरान अनुसूचित व्यापारिक बैंकों ने सीधे वित्त 1.435 करोड़ रु० का दिया है। यह इस बात को दर्शाता है कि व्यापारिक बैंकों ने केवल मात्र कहने को ही पूरक भूमिका अदा की है वस्तुतः इसने सहकारिता को कमजोर ही नहीं किया है बल्कि किसानों में घबड़ाहट भी पैदा की है। रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त, बहुअभिकरणीय अभिगम कार्य दल (1977) के शब्दों में "एक ही क्षेत्र में विभिन्न अभिकरणों द्वारा विभिन्न अनियमित ब्याज दर लिये जाने से उधार लेने वाले में संशय ही पैदा नहीं हुआ है बल्कि उनमें भेद भी पैदा हो गया है।"

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का कार्य अक्टूबर 1975 में प्रारम्भ हुआ। इन ग्रामीण बैंकों का एक मुख्य उद्देश्य ग्रामीण साख की कमी को पूरा करना था। इनसे ये आशा की गई थी कि ये कमजोर वर्ग के लोगों को साख सुविधाएं मुहैया करेंगे और जो साख की कमी रह गई है इसे भरेगें। जून 1981 के अन्त तक देश के 18 राज्यों में 102 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो चुके थे। इन बैंकों के साथ इनकी ब्रांचों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जून 1981 में एक ग्रामीण बैंक की औसत 37 ब्रांचें थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल निक्षेप 1981 में 252.85 करोड़ था औसत निक्षेप प्रति बैंक इस प्रकार 2.47 करोड़ था। जून 1981 में इनका सीधा व परोक्ष ऋण रु० 302.45 करोड़ था जिसमें से 180.2 करोड़ रुपया लघु सीमांत कृषक, खेतीहार मजदूरों को दिया गया था और 122.13 करोड़ रु० ग्रामीण दस्तकारों को दिया गया था।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता

क्षेत्र की सभी साख संस्थाओं में समन्वय रहे एवं कोई व्यक्ति एक ही कार्य के लिये ऋण विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त न कर सकें, इसके लिये आवश्यकता है कि सभी परिवारों को क्रेडिट कार्ड दिये जावें। इस क्रेडिट कार्ड में जो भी अभिकरण (चाहे वह सहकारी संस्था हो या ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीय कृत बैंक) ऋण उपलब्ध कराये वह इस बाबत पूरी जानकारी का इन्द्राज उसमें करे कि

किस कार्य के लिये कितना ऋण उस अभिकरण ने उस व्यक्ति को दिया है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जब किसी भी, अभिकरण के पास ऋण हेतु जावे तो उस अभिकरण को उसका क्रेडिट कार्ड देखकर उसके अनुसार ही ऋण देना चाहिए। इससे बहु अभिकरणीय अभिगम द्वारा साख सुविधाओं के दुरुपयोग की बात रुकेगी और संस्थाओं में समन्वय भी हो सकेगा। ऐसे क्रेडिट कार्ड को पंचायत या पंचायत समिति, या क्षेत्र के किसी अन्य विकास अभिकरण को जारी करने का प्राधिकार दिया जा सकता है।

बहु अभिकरण अभिगम् कुछ समस्याएं

कृषि साख में जहाँ एक अभिकरण कार्य कर रहा था, 1969 के बाद अन्य अभिकरणों के इस क्षेत्र में आ जाने से विभिन्न समस्याओं को भी यह साथ में लाया जिन्हें हम संक्षिप्त रूप से निम्न रूप में देख सकते हैं।

1. वित्तीय अनुशासन की कमी

एक क्षेत्र में एक कार्य के लिये एक से अधिक संस्थाओं द्वारा साख उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप, दोहरा वित्त, या अधिक वित्त कृषक प्राप्त करने के प्रयास में है। जिससे वित्त का मूल्यवान स्रोत अनुत्पादक कार्यों में भी लग सकता है।

2. अस्वस्थकारक प्रतियोगिता

बहु अभिकरण अभिगम ने बैंकिंग सुविधाओं के ओवर लेपिंग से उनमें अस्वस्थकारक प्रतियोगित को जन्म दिया है।

3. विभिन्न संस्थाओं की एक ही क्षेत्र में विभिन्न ऋण नीति

एक ही क्षेत्र में विभिन्न ऋण देने वाली संस्थाओं की अपनी विभिन्न ऋण नीतियाँ है। इसमें विभिन्न प्रक्रिया एवं विभिन्न ब्याज दर एवं विभिन्न पर्यवेक्षण चार्ज की समस्याओं का उठ खड़ा होना स्वाभाविक है।

4. वसूली की समस्या

एक ही क्षेत्र में एक से अधिक संस्थाओं द्वारा ऋण दिये जाने के फलस्वरूप जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है उसकी एक ही आय या उसके एक ही जमानती पर विभिन्न अभिकरण दावेदार हो जाते हैं जिससे वसूली की समस्या और उलझ जाती है।

उपसंहार

कृषि वित्त में बहु अभिकरणीय अभिगम् से यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि इससे संस्थाओं में अस्वस्थकारक प्रतियोगिता हो या विभिन्न संस्थाएं एक ही उद्देश्य के लिये विभिन्न मापदण्ड निर्धारित कर ऋण दे। वस्तुत इस अभिगम के द्वारा तो क्षेत्र के सभी अभिकरणों को एक निश्चित साख कार्यक्रम बनाकर क्षेत्रीय निक्षेपों को जमा कर, संस्थागत ऋण उपलब्ध करना है। सुदूर गांवों के सभी व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है जिससे असंस्थागत ऋण पूरी तरह हट जावे और संस्थागत् ऋण उपलब्ध कराने में जो कमी रह गई है वह पूरी हो। इस सब के लिये साख कार्ड व सभी अभिकरणों द्वारा क्षेत्र का साख कार्यक्रम, समन्वित रूप से बनाया जाना परम आवश्यक है।□

व्याख्याता
बी-2 उदयभाण सिंह जी सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय
सेक्टर-30, गांधीनगर-382030

राष्ट्रीय कृषि उत्पादन....**(पृष्ठ 12 का शेषांश)**

टन से अधिक होगा। चीनी के उत्पादन में अकस्मात गिरावट हुई थी। इसे असंतोष का कारण नहीं माना जा सकता। सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य ढाई रुपया प्रति क्विटल बढ़ा दिया है। यह मूल्य वृद्धि आने वाले वर्षों में गन्ने का उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। हालांकि किसानों के संगठनों ने गन्ने का और अधिक मूल्य देने की मांग की है।

पिछले दिनों में भारत सरकार ने गन्ना, सरसों, कपास, धान आदि के समर्थन मूल्यों में लाभकारी वृद्धि करके किसानों के हितों का ध्यान रखा है। कृषि मंत्री श्री बूटा सिंह ने मोटे अनाजों का भी समर्थन मूल्य निश्चित करने की घोषणा की है। सरकार के इन कदमों से राष्ट्रीय कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना लागू करने की घोषणा पिछले वर्ष बजट अधिवेशन में भी कर दी थी। फसल बीमा योजना कई राज्यों में लागू भी हो चुकी है।

इस योजना के लागू हो जाने से किसानों में एक नई चेतना जागृत हुई है क्योंकि उन्हें फसल उत्पादन के लिए मिले ऋणों के भुगतान की समस्या अपने आप बीमा से कवर हो जाती है। इस योजना का वास्तविक प्रभाव अभी सामने आना बाकी है लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस योजना के कुछ समय बाद अच्छे परिणाम आने लगेंगे।

भारतीय कृषि की प्रगति की सराहना पूरे विश्व में ही हो रही है। राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में कई गुना वृद्धि भी हुई है, लेकिन हमारी बढ़ती हुई आबादी का ग्रहण, कृषि की प्रगति को छिपा लेता है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपनी आबादी को नियंत्रित करें।□

(आकाशवाणी सामयिकी से साभार)

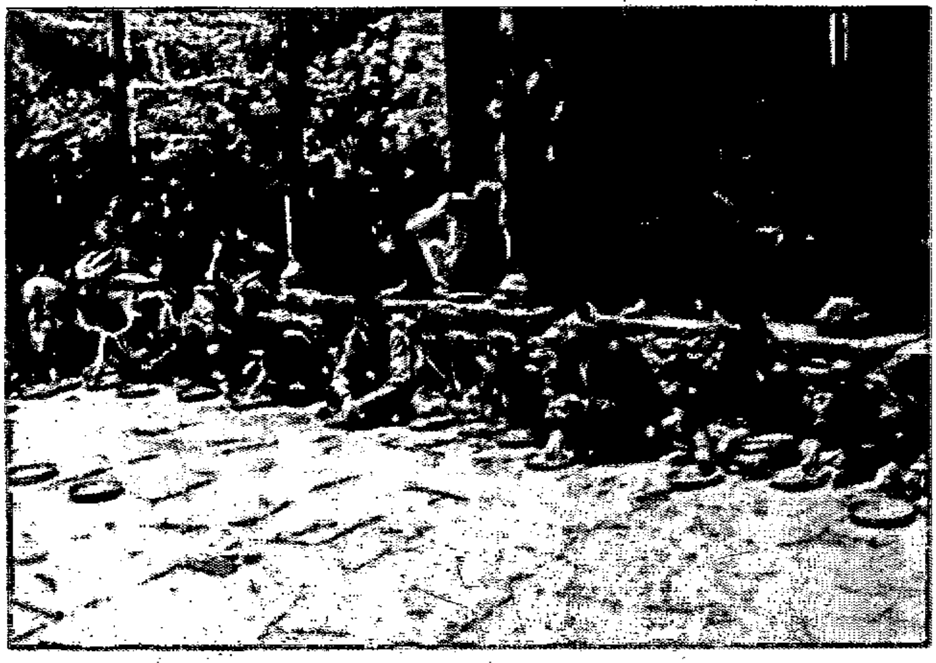

ग्राम कुलांग, जिला कुल्लू (हि.प्र.) में पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत पौष्टिक भोजन का वितरण।

ग्राम उषापुरा, जिला इन्दौर में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त एक लाभार्थी का परिवार झाड़ू बनाते हुए।

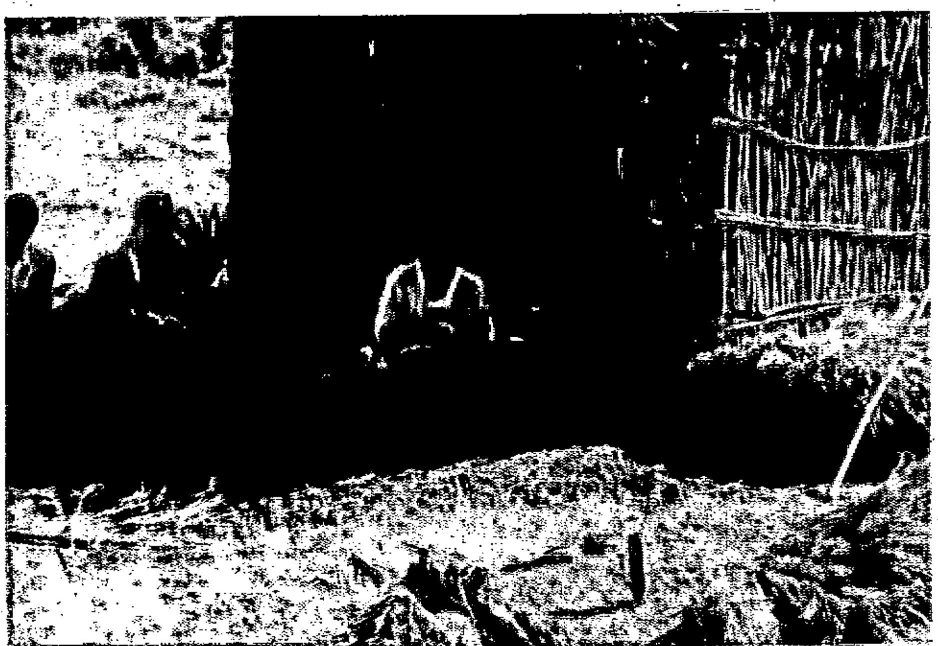

ग्राम खजूरी सड़क, जिला भ
मोटर वाइंडिंग के व्यवसाय

स.ग्रा. वि. का. से सहायता प्र
एक व्यवसायी चमड़े की र

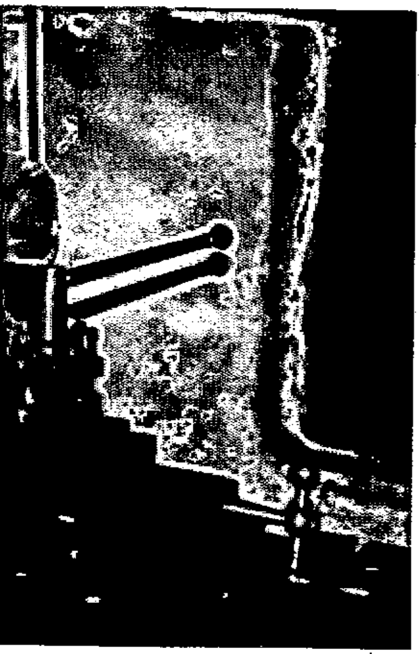

में स.ग्रा.वि.का. के अन्तर्गत
नग्न लाभार्थी।

र जिले के तिरला ग्राम का
रते हुए।

रा.ग्रा.रो. कार्यक्रम के तहत खण्डवा, जिला इन्दौर में सामाजिक वानिकी का एक दृश्य।

सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पिपलिया, जिला झाबुआ में सिंचाई हेतु तालाब का निर्माण।

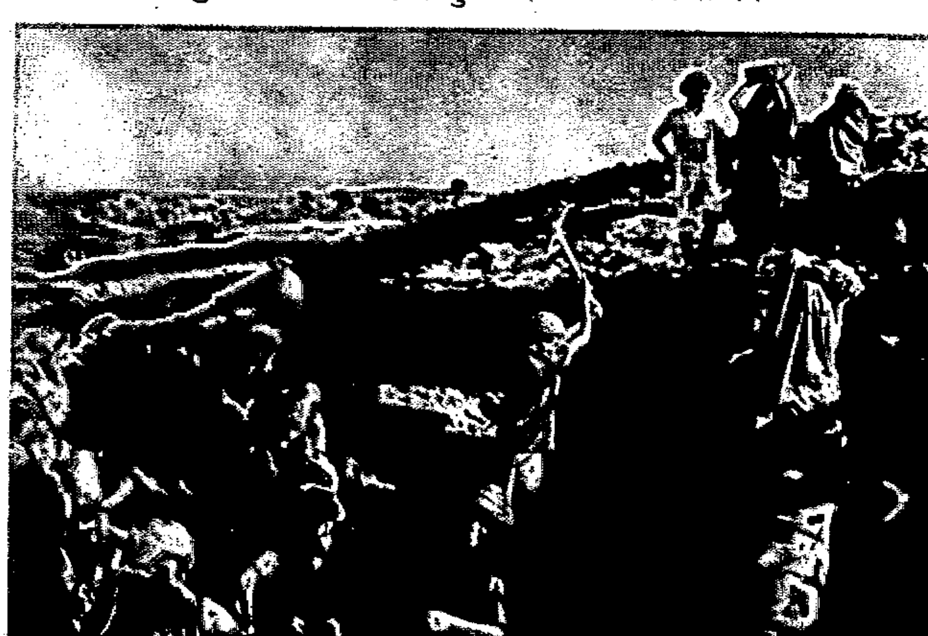

विकलांग तो है पर है हस्तसिद्ध कलाकार व चित्रकार

अशोक कुमार यादव

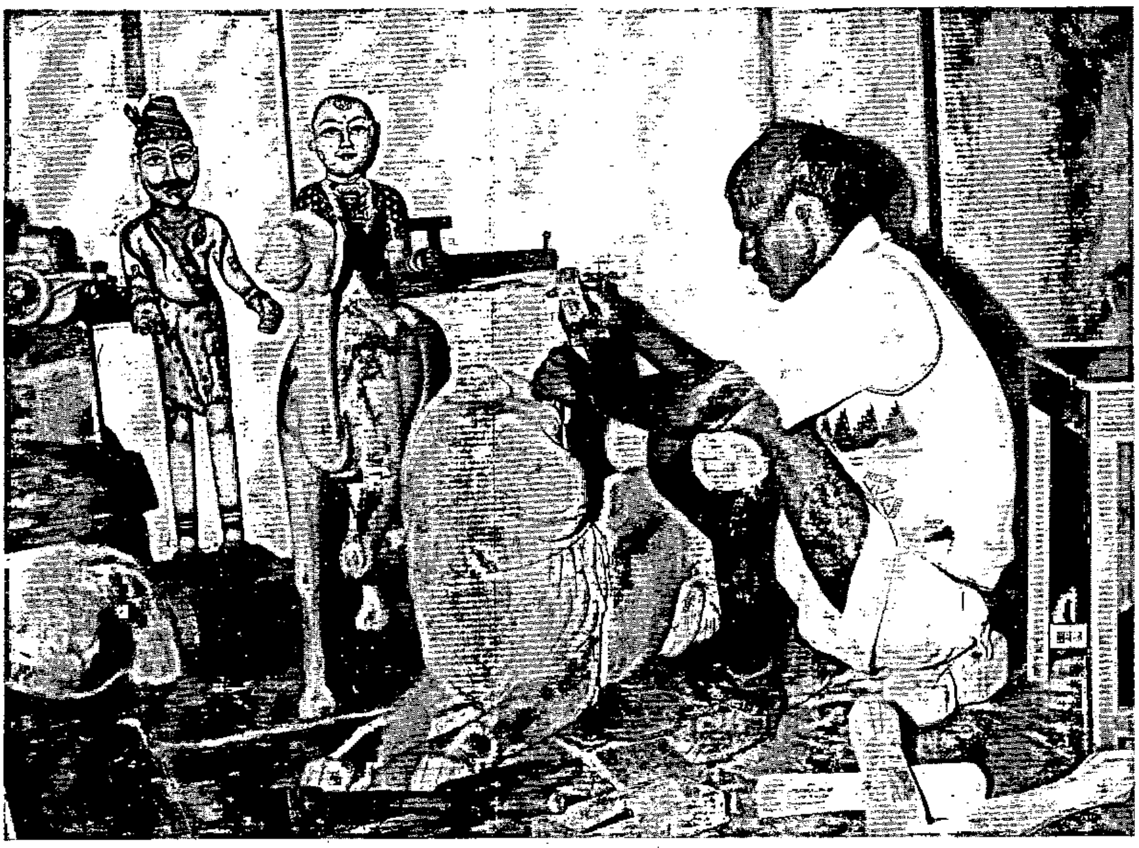

यद्यपि चितौड़गढ़ जिले में बस्ती गांव की काष्ठकला देश के कौन कौने में तो विख्यात है ही यह विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केन्द्र है। बस्ती गांव का यह काष्ठ कला उध्योग अभी ही शुरु हुआ हो ऐसी बात नहीं है। आज से कोई पौने चार सौ वर्ष पूर्व सम्राट जहांगीर के शासन काल में टोंक जिले के मालपुरा से इन काष्ठ कला निर्माताओं को मेवाड़ के महाराणा द्वारा लाकर बसाया गया था। अभी बस्ती में ऐसे कोई दो दर्जन से अधिक परिवार हैं जो इस काष्ठ कला उद्योग में लगे हैं। ये हस्तसिद्ध कलाकार देश और विदेश में नाम कमा रहे हैं।

बस्ती गांव का 35 वर्षीय जमनालाल भी उत्कृष्ट कोटि की काष्ठकला के अपने पैतृक व्यवसाय में लगा हुआ है। वह विकलांग है पर काष्ठकला में कहीं अधिक निपुण है। बस्ती ग्राम पंचायत के सरपंच केशर सिह के सहयोग से हम जमना लाल के घर तक पहुंचते हैं। वह अपने औजारों से लकड़ी को जीवंत आकृति देने में व्यस्त था। उसके निपुण हाथ लकड़ी से एक खिलौना बना रहे थे।

हमें देख कर सहसा जमनालाल के हाथ रुक जाते हैं, और जब हमने उसके यहां आने का मन्तव्य बताया तो वह अपने यहां पड़े लकड़ी के खिलौनों की और इशारा कर देता है।

जमनालाल एक पैर से विकलांग है अर्थात् वह लंगड़ा है परन्तु उसने स्वयं लकड़ी का एक कृत्रिम पैर बना कर इसे अपने कटे पैर में लगा लिया है। वह कहने लगा हुकम। "म्हूं अगर इस कट्या पांव के बारा में यूज सोचतो रहतो तो आज अतरो काम नी सीखतो। म्हे म्हारी जिन्दगी ने अच्छो बणावणी चाह्यो तो निराश नी वेइन खुद पैर बणायो और इणने पहन लीयो।"

बात कुछ आगे बढ़ी तो जमनालाल अपनी आप बीती सुनाने लगा। वह कोई डेढ़ वर्ष की उम्र का होगा कि लकड़ी से उसका एक पैर टूट गया। इलाज के बावजूद टूटा पैर, ठीक नहीं हुआ। पिताजी ने जब

उसे स्कूल में पढ़ने भेजा तो उसे वहां भी कोप भाजक बनना पड़ा अपने साथी छात्रों का। साथी उसे चिढ़ाते तो वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता।

उसके पिताजी हीरालाल जी उसे अन्ततः अपना पैतृक धंधा ही सीखाना चाहते थे। अतः जमनालाल छठी कक्षा से ही काष्ठ कला का धंधा सीखने लगा। सर्व प्रथम उसने पाटिये वगैरह बनाना सीखे और लकड़ी के निर्मित खिलौनों पर रंग रोगन का कार्य भी करने लगा। धीरे धीरे वह काष्ठ कला के अन्य कामों को भी सीखता गया दसवीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के पश्चात् सन् 1967 में जमनालाल पढ़ाई छोड़ पूरी तरह से जुट गया लकड़ी के खिलौने बनाने के धंधे में। जमनालाल को लकड़ी उठाने जैसे भारी कामों में दिक्कत अवश्य होती है पर उसका कहना है कि उसका यह विकलांग पैर लकड़ी से खिलौने बनाने के काम में कहीं बाधक नहीं।

जमनालाल लकड़ी को भला किस रूप में नहीं ढाल सकता है। वह लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट, शेर, चीता, कठपुतलीयां, गणगोर, ईशरजी, कावड़, बेवाण, सभी प्रकार के छोटे मोटे खिलौने आदि सभी तो बना लेता है। सचमुच उसके निपुण हाथ लकड़ी में जान डाल देते हैं। उसके द्वारा निर्मित लकड़ी के कलात्मक खिलौने निर्जीव भाषा बोलते हुए अपने निर्माता का गुणगान करते हैं।

जमनालाल निराशा भरे स्वर में कहने लगा कि हुकम कला की कीमत को कौन आंकता है आज के समय में। उसने 2½ फीट लम्बे लकड़ी के घोड़े की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इसके निर्माण में 10-20 दिन लग गये हैं और बहुत मेहनत कर इसे पांच लकड़ी के टुकड़े जोड़कर बनाया है पर कीमत मिलेगी 250 से 300 रुपये के बीच में। छोटे खिलौने के निर्माण में भी आखिर समय व मेहनत तो लगती ही है। उसने बताया कि वह छोटे बड़े सभी खिलौने बनाता है इन खिलनों में 25 पैसे से लेकर 400 रुपये तक के खिलौने होते हैं।

जमनालाल ने बताया कि लकड़ी के खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं के निर्माण में निखार आये तथा ये आकर्षत बनें इसलिए वह इसके निर्माण में सालर, अरणी, सेमला, आम आदि की लकड़ी काम में लेता है। वह कहने लगा कि अब लकड़ी भी ऊंचे दाम पर मिलती है।

जमनालाल काष्ठ कला में जितना निपुण है उतना ही वह चित्रकारी व पेंटिंग कार्यों में भी निर्पुण है। हमें वह बस्ती गांव के तालाब के निकट बने उस मंदिर में ले गया जहां कि उसने मंदिर की अन्दर की दीवारों तथा छत पर आईल पेंट से रामलीला व कृष्ण लीला के दृष्य चित्र बनाये थे। मंदिर की चित्रकारी को दिखाते हुए उसने बताया कि अक्सर वह मंदिरों में ऐसी चित्रकारी के लिए आस पास के गांवों में जाता रहता है। जिज्ञासावश पूछने पर जमनालाल ने बताया कि उसका वह विकलांग पैर चित्रकारी के कार्यों में भी बाधक नहीं बनता, उसने कृत्रिम पैर जो लगा रखा है।

जमनालाल के धंधे में और निखार लाने के लिए कोई साढ़े पांच वर्ष पूर्व राजस्थान खादी ग्रामोद्योग मण्डल ने उसे 500 रुपये का ऋण दिया था। इसके बाद उसने लकड़ी खरीदने के लिए तीन वर्ष पहले बैंक आफ बड़ौदा से ऋण लिया था। इन दोनों कर्जों को जमनालाल ने चुका दिया है।

जमनालाल के कुशल हुनर तथा फलते फूलते धंधे को देख राजस्थान वित्त निगम उसके धंधे को नया जीवन देने के लिए उसके यहां पहुंचा। राजस्थान वित्त निगम ने पिछले वर्ष 1984 के मार्च माह में उसे आरा मशीन लगाने तथा नये सुधरे औजार खरीदने के लिए 9 हजार रुपये का ऋण दिया ताकि वह अपने काष्ठ कला के धंधे को तेजी से करे तथा आगे बढ़ा सके।

उसने बताया कि आरा मशीन लगने से उसका काम जल्दी निपटने लगा है। आरा मशीन लगने से पहले जमनालाल इस काष्ठ कला के धंधे से 400 रुपये प्रति माह कमाता था लेकिन अब उसकी शुद्ध आय 600 से 700 रुपये प्रति माह तक हो गयी है। वह राजस्थान वित्त निगम को भी ऋण की किश्तें समय पर चुका रहा है।

जमनालाल ने लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं बनाने के इस धंधे को "सीक्रेट ट्रेड" बताकर अचम्भे में डाल दिया। उसने बताया कि इस धंधे को परिवार की औरतों तथा लड़कियों को नहीं सिखाया जाता। इसे तो केवल लड़कों को ही सिखाया जाता है। लकड़ी की ये कलात्मक वस्तुएं निर्मित होने के पश्चात उदयपुर स्थित एम्पोरियमों के व्यापारियों, नाथद्वारा मन्दिर मण्डल तथा सी०आर०पी० नीमंच आदि को बेची जाती हैं। यहां से ये देश के कौने कौने में और विदेशी पर्यटकों तक पहुंचकर घरों की शोभा बढ़ाती हैं।

जमनालाल लकड़ी से शरीर के कृत्रिम अंग जैसे पांव, टांग, हाथ आदि भी बना लेता है। उसे 1983 के स्वतन्त्रता दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित भी किया गया। बस्सी गांव में ही आयोजित प्रदर्शनी में भी 500 रुपये का पुरस्कार वह जीत चुका है।

बसती के संरपंच केशर सिंह चाहते हैं कि राज्य सरकार अगर बसती गांव में उत्कृष्ट कोटि की इस काष्ट कला को प्रदर्शित करने के लिए बसती व चितौड़गढ़ में शोरुम बनाये तो यहां के कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा। □

(राजस्थान विकास से साभार)

बाल मजदूरों की समस्यायें

डा० हरिकृष्ण देवसरे

भारत में बच्चों की मुख्य समस्याओं में एक समस्या बाल मजदूरी की है। गांवों में जहां ये बाल मजदूर खेती में घरेलू व्यवसाय आदि में लगे हुए हैं, वहीं शहरों में रेलवे स्टेशन पर बोझ उठाते, पालिश करते, घरों में बर्तन साफ करते या होटलों में प्याले-प्लेटें धोते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा कारखानों, दुकानों, प्रेसों, धातु और इंजीनियरी के छोटे कारखानों में भी अनेक बाल मजदूर लगे हुए हैं। इन तमाम कामों में न तो काम के घंटे निश्चित होते हैं, न ही वेतन। उनके स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ऊपर से मालिक की डांट-फटकार। बड़ी संख्या में काम कर रहे इन बाल मजदूरों का क्या भविष्य हो सकता है, यह प्रश्न पिछले अनेक वर्षों से अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और शिक्षाविदों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बाल मजदूरों की समस्या को हल करने के लिए कई कानूनी उपाय किए गए। इससे पहले एक इम्प्लायमेंट आफ चिल्ड्रन ऐक्ट 1938 था, किन्तु 1948 में फैक्ट्रीज ऐक्ट बना, मांइस ऐक्ट 1952, प्लांटेशन ऐक्ट, शाप एंड इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट और मिनिमम वेजेज एक्ट भी लागू किए गए। बाल अधिनियम को राज्य और केन्द्र सरकारों ने लागू किया और बाल मजदूरों की स्थिति सुधारने की कोशिश की। किन्तु फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

वास्तव में बाल मजदूरों की समस्या आर्थिक सामाजिक समस्या है। इस समस्या का सीधा दुष्परिणाम ये होता है कि उन बच्चों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास रुक जाता है। उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और उनका भविष्य एक दायरे में सिमट जाता है। बाल मजदूरों की समस्या का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों के अनुसार समाज की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां ही बच्चों की मजदूरी करने के लिए मजबूर करती है? उनके अनुसार अशिक्षा, अज्ञानता, कम वेतन, बेरोजगारी, रहन-सहन तथा सामाजिक जीवन का निम्नस्तर, कुछ ऐसे कारण हैं जो बाल मजदूरी की समस्या को जन्म देते हैं। आज अनेक ऐसे परिवार हैं जिनमें मां-बाप तो मजदूरी करते ही हैं, परिवार का खर्च चलाने के लिए वे अपने बच्चों से भी मजदूरी कराते हैं। ऐसे परिवारों में परिवार नियोजन को भी कोई महत्व नहीं दिया जाता। वे अधिक से अधिक बच्चे पैदा करके इस बात से संतुष्ट होते हैं कि वे बच्चे काम करने लायक बनने पर परिवार के लिए कुछ न कुछ कमा ही लायेंगे। ऐसे मां-बाप न सिर्फ उनसे घटिया से घटिया काम कराते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और जोखिम भरे काम करने के लिए भी उन्हें भेज देते हैं। इस तरह बच्चों की संख्या बढ़ाकर वे अपना आर्थिक स्वार्थ तो पूरा कर लेते हैं, किन्तु वे इस तरह न सिर्फ देश की जनसंख्या बढ़ाते हैं बल्कि उन बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय बना देते हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं, जबकि बच्चे स्वयं मजदूरी करने के लिए विवश होते हैं। इससे स्पष्ट है कि बाल मजदूरी की समस्या में उनका शोषण इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना वे परिस्थितियां हैं जो उन्हें मजदूरी करने के लिए विवश करती है। वे ही कई बार अपना शोषण कराने के लिए सहमत होते हैं, क्योंकि उन्हें तो काम चाहिए। उदाहरण के लिए शिवाकासी में, माचिस की फैक्ट्रियों में अपने माता-पिता के साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी काम करते हैं। ये बच्चे अनेक छोटे काम करते हैं। एक बच्चा माचिस की तीलियों को मुट्ठी में लेकर उन्हें समान बनाने के लिए पहले जमीन पर फिर अपने सीने या पैर पर उन्हें ठोकते हैं। अपने शरीर के एक ही स्थान पर दिन भर और हर रोज माचिस की तीलियां ठोकने से वहां नीली गठान बन जाती है। जब उन बच्चों से पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, ये काम छोड़ क्यों नहीं देते तो उनका उत्तर था "पेट के लिए"।

बाल मजदूरी की समस्या का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ, मूल रूप से गरीबी को ही इसके लिए दोषी ठहराते हैं। गरीबी के कारण ही मां-बाप बच्चों से मजदूरी कराते हैं ओर चूंकि बच्चों को कम वेतन देकर उनसे पूरा काम लिया जाता है, इसलिए कारखानों आदि के मालिक उन्हें नौकर रख लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बाल मजदूरी को यदि एकदम खत्म कर दिया जाए तो इससे गरीबी बढ़ जाएगी और अनेक परिवार, जिनकी आर्थिक स्थिति में बच्चों का भी योगदान है, बरबाद हो जायेंगे।

भारत में इस समय मार्च 1983 में एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार एक करोड़ 70 लाख से भी अधिक बाल मजदूर हैं। सरकार इस बात को मानती है कि यदि बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया जायगा तो गरीबों की आर्थिक समस्याएं बढ़ जायेंगी। इसलिए सरकार यह चाहती है कि बच्चे जिन परिस्थितियों में काम करते हैं उन्हें अधिक अनुकूल बनाया जाय। इसके लिये भी विचार है कि कुछ उद्योगों पर एक उपकर लगाया जाय जो बाल मजदूरों की भलाई के लिए होगा। इससे एक लाभ यह होगा कि बच्चों से मजदूरी कराने की भावना में कमी आएगी और दूसरा यह भी कि इस प्रकार जो धन इकट्ठा होगा वह काम पर लगे बाल मजदूरों के कल्याण कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा। इन उद्योगों में कालीन उद्योग और माचिस उद्योग प्रमुख हैं, क्योंकि इनमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चे काम कर रहे हैं।

आज हमारे देश में गरीब परिवारों की आबादी का तेईस प्रतिशत भाग, उनके बच्चे कमा रहे हैं। ये बच्चे चार से पन्द्रह वर्ष की आयु के हैं। चूंकि इस समस्या का सीधा संबंध आर्थिक प्रश्नों से जुड़ा हुआ है, आज विश्व के तमाम विकासशील देश इस बुराई को सहज स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी यह है कि कुछ ऐसे प्रभावशाली कानून बनाए जाएं जो बाल मजदूरों के काम करने की स्थितियों में सुधार लाएं। उदाहरण के लिए उन्हें साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य रूप से दिया जाय, उनके लिए वेतन की कम से कम राशि निश्चित कर दी जाय जिससे कोई भी मालिक उससे कम भुगतान न कर सके, बीमारी या चोट लग जाने पर उन्हें मुआवजा दिया जाय, उनकी नियमित रूप से डाक्टरी जांच हो, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा दी जाय, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाय और उनके मनोरंजन के लिए विविध साधन उपलब्ध कराए जाएं।

औद्योगीकरण के विकास के साथ मजदूरी के अवसर तो बढ़े हैं, **पर उसके** साथ-साथ बाल-मजदूरों का जो वर्ग तैयार हुआ है वह मजदूरों, यानी माता-पिता की गरीबी या परिवार के भरण-पोषण का भार न उठा पाने की स्थिति की देन है। यों देखा जाए तो बाल मजदूरों को इतना कम वेतन मिलता है कि उसे किसी प्रकार का बड़ा आर्थिक लाभ नहीं कहा जा सकता। लेकिन गरीब परिवारों की आमदनी में उनकी कमाई की छोटी सी राशि भी महत्वपूर्ण होती है और यही कारण है कि वे माता-पिता अपने बच्चों का शोषण भी बर्दाश्त कर लेते हैं।

बाल मजदूरों के लिए सामाजिक स्थितियां भी प्रेरित करती हैं। समाज में एक धारणा यह व्याप्त है कि बढ़ई का लड़का बढ़ईगीरी, या लुहार का लड़का लुहारी ही करेगा। इसलिए बच्चे, बचपन से ही अपने परिवार का पारंपरिक व्यवसाय अपना लेते हैं। दूसरी ओर यह भी विश्वास किया जाता है कि परिवार में ज्यादा बच्चे होने से घर में सम्पन्नता आती है, यानी जितने अधिक लोग काम करेंगे, उतनी ही आमदनी होगी। इस प्रकार की सामाजिक भ्रांतियां आज गांवों में व्याप्त है। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के कुल बाल मजदूरों में से अस्सी प्रतिशत खेती के काम में तथा अपने पारिवारिक व्यवसायों में लगे हुए हैं। शेष बाल मजदूर औद्योगिक और गैर औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। शहरों में पांच से पन्द्रह वर्ष की आयु वाले अधिकांश बाल मजदूर घरों तथा घरेलू कार्यों में, होटलों और चाय की दुकानों में, मोटर रिपेयरिंग शाप और पेट्रोल पम्पों, खिलौने तथा खेल के सामान बनाने वाले कारखानों, दर्जियों की दुकानों तथा अगरबत्ती और पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम कर रहे हैं। इन तमाम बाल मजदूरों को न तो उचित वेतन मिलता है न ही वे सुविधाएं मिलती हैं जो प्रौढ़ मजदूरों को दी जाती है। इसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि अधिकांश बाल मजदूर कुपोषण का शिकार हैं और दुर्घटनाओं के शिकार होने वाले भी अधिकतर बच्चे ही होते हैं। इन्टरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश बाल मजदूर अनेक मनोविकारों से ग्रस्त होते हैं।

इसलिए बाल मजदूरों की समस्या को हल करने के लिए अब यह बहुत आवश्यक हो गया है कि कुछ ऐसे प्रभावशाली कानून बनाए जाएं जो उन्हें खतरनाक काम करने से रोकें। □

(आकाशवाणी सामयिकी से साभार)

महिला कल्याण विभाग द्वारा नए पोषाहार कार्यक्रम शुरु

नव संसाधन मंत्रलय के महिला कल्याण, विभाग ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नया पोषाहार कार्यक्रम शुरु किया है। इसके अंतर्गत जनजातिय क्षेत्रों, शहर की गंदी बस्तियों और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में छः वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गेहूं, एवं पूरक पोषक तत्वों के रूप में दालें, तेल, चीनी और ईंधन प्राप्त करने के लिए अधिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

यह कार्यक्रम इस वर्ष के आरंभ में शुरु हुआ। अगले दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को अपने-अपने पोषाहार कार्यक्रम का विस्तार करने में सहायता देगी ताकि केन्द्रीय सहायता से तीस लाख अतिरिक्त लोग इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकें।

महिला कल्याण विभाग ने राज्यों को सूचित किया है कि वह राज्यों द्वारा पोषाहार कार्यक्रम हेतु भारतीय खाद्य निगम से खरीदे जाने वाले गेहूं के लिए प्रति मीट्रिक टन 470 रु० की आर्थिक सहायता देगा। केन्द्र सरकार इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1986 व 1987 के दौरान लगभग 45 करोड़ रु० व्यय करेगी। □

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और समस्याएं

ह० श० नायक

सहायक प्राध्यापक (कृषि प्रसार) महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी, जि० अहमदाबाद (महाराष्ट्र)

भारत में प्रौढ़ शिक्षा की कल्पना बहुत प्राचीन है भारत वर्ष जैसे विकासमान देश के लिये दारिद्रय और निरक्षरता ये दोनों प्रश्न प्रगति में बाधक है। गरीबी और निरक्षरता के कारण बहुसंख्यक समाज विकास कार्यों से मिलने वाले लाभ से वंचित है। प्रजातंत्र की प्रगति में गरीबी और अज्ञानता बाधक है। प्रजातांत्रिक सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ गरीबों को मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से 2 अक्तूबर 1978 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिन से देश में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। गरीबी को कम करना, प्रगति को गतिमान बनाना व विकास का लाभ सर्व सामान्य व्यक्तियों तक पहुंचाना ही राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम है।

देश की गरीबी से पिसता हुआ बहुजन समाज निरक्षर है। गरीब निरक्षर शहरों में, झोपड़ियों में और गांवों में दरिद्रता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार निरक्षरों की संख्या 34.33 करोड़ हो गई। उसमें दो तिहाई स्त्रियों की ही संख्या है। उसी प्रकार से इन निरक्षरों में अनुसूचित जाति, जन जाति, बन्धुआ मजदूर और समाज के गरीब तबके के लोग हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, बन्धुवा मजदूर और समाज के गरीब तबके के लोगों को साक्षर करना है।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 15 से 35 वर्ष के निरक्षरों के लिये हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इसी उम्र के लोगों का समावेश इसी लिये किया गया है ताकि इस उम्र के लोगों में विकास कार्यों में सक्रिय भाग लेने की क्षमता रहती है। सन् 1981 की जनगणना के अनुसार साक्षरता 36.23 प्र० श० ही है। जिसमें पुरुषों में 46.89 प्र०श० और स्त्रियों में सिर्फ 24.82 प्र० श० है। सन 1951 में जहां साक्षरता का प्रतिशत 16.6% था वहीं 1981 में 30 वर्षों में 36.23% था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षरता का प्रसार पिछले 3 दशकों में काफी मन्द गति से हुआ।

उसी प्रकार से सन् 1951 में जहां निरक्षरों की संख्या 24.66 करोड़ थी, वहीं 1981 में बढ़कर 42.43 करोड़ हो गई। स्वतंत्रता के बाद भी स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत 25 प्रतिशत है। बारह राज्यों में राष्ट्रीय साक्षरता का प्रमाण (36.23%) से भी कम साक्षरता है। प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सूत्र क्र० 16 के अनुसार 6-14 वर्ष तक के बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, उसमें लड़कियों का मुख्य रूप से समावेश है। प्रौढ़ शिक्षा क अन्तर्गत 1990 तक 15-35 वर्ष की उम्र के सब लोगों का समावेश हो जायेगा।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए तीन स्तरों पर

संगठनात्मक ढांचा कार्य करता है। (अ) राष्ट्रीय स्तर (ब) राज्य स्तर (क) जिला स्तर।

(अ) राष्ट्रीय स्तर — प्रौढ़ शिक्षा की नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करने तथा उसके कार्यान्वियन में समन्वय के लिये एवं सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड कार्यरत है। बोर्ड कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा एवं कार्यक्षेत्र में सुधार के लिए उत्तरदायित्व है।

(ब) राज्य स्तर—राज्य स्तर पर भी कार्यक्रम के कार्यान्वियन के बारे में उचित निर्देश के लिये बोर्ड विद्यमान है।

(क) जिला स्तर—जिला में जिला प्रौढ़ शिक्षा समितियां स्थापित की गई हैं। जिलाधीश/उपायुक्त ऐसी समिति के प्रभारी होते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वियन में बहुत समस्याएं एवं खामियां हैं उनमें से कुछ का विवेचन निम्न है।

नौसिखियों में अपर्याप्त प्रेरणा

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नौसिखियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करना सरल नहीं है। नौसिखियों की उपस्थिति उत्साह जनक भी नहीं रहती तथा संख्या भी अपर्याप्त रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि सीखने वालों के बीच प्रेरणा की कमी रहती है।

समन्वय की कमी

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, विकास विभागों तथा समन्वय की परिकल्पना है। जिससे अध्यापन व अध्ययन प्रतिक्रिया रोचक व कारगर हो सके। लोगों में जागरुकता पैदा करने तथा कार्यात्मक उन्नयन के क्षेत्रों में अनेक विकास विभागों से ऐसा सहयोग आवश्यक है परन्तु इस समय पूर्णरूप से प्राप्त नहीं है।

कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में कमी

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में कार्यरत 'क्षेत्रीय कार्यकर्ता' ही महत्वपूर्ण अंग है। कार्यकर्ता प्रौढ़शिक्षक के रूप में उन्हीं लोगों का यत्न किया जाए। जो मिशन की भावना से कार्य करने में दिलचस्पी रखते हैं। इन्हीं के ऊपर केन्द्र चलाने की जवाबदारी है। अत: उन्हें केन्द्रों को चलाने के लिए आवश्यक दक्षताओं में उचित रूप से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। लगभग सभी मूल्यांकन अध्ययनों से पता चलता है कि कार्यक्रम के कार्यान्वियन में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एक मुख्य कमी है। कोठारी समिति ने शिक्षकों के शिक्षण पर काफी बल दिया है।

शिक्षकों की कमी

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिये उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों की सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर केन्द्र सुदूर अंचलों में है, जहा पर यातायात की सुविधायें उपलब्ध नहीं है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए अपर्याप्त प्रोत्साहन

इस कार्यक्रम में कार्यरत शिक्षकों तथा पर्यवेक्षकों को उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रु० 5 प्रतिमास मानदेय कोई विशेष आकर्षक नहीं है।

अध्यापन-अध्ययन सामग्रियों की प्रासंगिकता

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापन-अध्ययन सामग्री अध्ययन करने वालों की आवश्यकताओं के अनुरूप एवं हितों के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन अभी तक इस कार्य में पूर्ण सफलता नहीं मिली है।

सामुदायिक सहयोग की कमी

सामान्यत: प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया जाता और इससे उनमें केन्द्र को चलाने में सक्रिय रुचि नहीं रहती। जब तक स्थानीय समुदाय का पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता तब तक संबंधित समस्याओं का समाधान कठिन है।

उत्तर साक्षरता कार्यकलापों पर अपर्याप्त बल

उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती चरण के अन्तर्गत कार्यात्मक निवेशों के लिये, विकास विभागों के बीच समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है। यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके लिए नव साक्षरों के लिए विशेष रूप से तैयार किये समाचार पत्रों अथवा पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

सुझाव

समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ सुझाव निम्न हैं।

प्रशिक्षण

निश्चित अवधि के लिए कार्यकताओं को प्रशिक्षण देना चाहिए

जिससे कार्यक्रमों के चलाने के लिये आवश्यक ज्ञान और कौशलों के बारे में कार्यकर्ता समझ सकें।

महिलाओं को शामिल करना

प्रौ० शि० कार्यक्रम में महिलाओं का अंश लगभग 41% है। उन्हें कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में शामिल करने के लिये प्रोत्साहन तथा पुरस्कारों की योजना कार्यान्वित की जानी चाहिये। विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पर अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जाति/जन जाति या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की हो।

शिक्षण अध्ययन सामग्री

शिक्षण अध्ययन सामग्री तथा नवसाक्षरों की आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिकता का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए तथा जहां पर इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध न हो वहां उसे त्वरित उपलब्ध करानी चाहिए।

उत्तर साक्षरता प्रयासों को सुदृढ़ करना

उत्तर साक्षरता स्तर पर कार्यक्रम के प्रथम चरण वाले नवसाक्षरों के साथ सुव्यवस्थित कार्यकलापों के जरिए संपर्क स्थापित करना चाहिए। जिससे उनका अध्ययन प्रोन्नत हो सके और वे फिर से निरक्षर न बन सकें।

कार्यकर्ताओं तथा छात्रों को अभिप्रेरणा

इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कार्यकर्ताओं और छात्रों को शिक्षित करने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करने का कार्य एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्यक्रम में छात्रों के बीच पर्याप्त प्रेरणा की कमी एक बाधा है। विकास कार्यक्रमों को विकासात्मक कार्यक्रमों के अतिरिक्त संवाहन के रूप में कार्य में लाना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा के अनुकूल पर्यावरण राष्ट्रीय स्तर से सामुदायिक स्तर तक छात्रों की अभिप्रेरणा को काफी प्रभावित कर सकता है। अभिप्रेरणा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को चलाने के तरीकों पर भी निर्भर करती है।

दृढ़ प्रयासों की आवश्यकता

प्रौढ़ शिक्षा की प्रोन्नति के लिये वातावरण के निर्माण हेतु संचार साधनों के व्यापक उपयोग, साक्षरता के महत्व और आवश्यकता पर विभिन्न रूप से जोर देना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये राज्य तथा जिला दोनों ही स्तरों पर प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों को विशेष वरीयता देनी चाहिए।

आवश्यक सुझावों को अपना कर ही सन् 1990 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य पूर्ण किया जा सकता है। □

"गज़ल"

बात भी सच है कि—हम मजदूर हैं
राष्ट्र रचना के लिये तो—शूर हैं
हम मशालें हाथ में लें जब—चलें-
श्रम सिपाही नाम से—मशहूर हैं
हाथ हैं यह दोस्ती खातिर—सदा-
प्यार में पलते यहां—भरपूर हैं
न्याय के साथी, नहीं अन्याय—के-
इसलिये हम दीखते नासूर—हैं,
खून रग-रग में रमा, पानी—नहीं-
पास आ कर देखलो, क्या दूर हैं।

कृपा शंकर शर्मा "अचूक"

कुष्ठ रोग उन्मूलन-लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव

कभी असाध्य समझा जाने वाला कुष्ठ रोग अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। अब इसका इलाज संभव है। कुष्ठ रोग से पीड़ित 5 रोगियों में एक ही रोगी ऐसा होता है जिससे छूत फैलता है। यदि शीघ्रता से तथा नियमित रूप से इसका इलाज किया जाय तो इससे रोग फैलने की आशंका भी समाप्त हो जाती है।

भारत में कुष्ठ रोग स्वास्थ्य सम्बन्धी एक ऐसी बड़ी समस्या है जिसके दूरगामी सामाजिक परिणाम निकलते हैं। कुष्ठ रोग के अधिक प्रकोप वाले क्षेत्रों में लगभग 40 करोड़ लोग रहते हैं और ऐसा अनुमान है कि इस समय लगभग 40 लाख लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। लगभग 20 प्रतिशत रोगी ऐसे हैं जिनसे छूत फैल सकता है और लगभग 25 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकृत हैं। इनमें से 20 प्रतिशत बच्चे हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह रोग एक समान रूप से फैला हुआ नहीं है। तटीय राज्यों—तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में इस बीमारी का अधिक प्रकोप है।

वर्ष 1954-55 में जब राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम शुरु किया गया तो कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए "डैपसोन" का प्रयोग किया गया जो कि एक सस्ती, प्रभावी तथा सुरक्षित औषध है। बाद में इसके स्थान पर बहु-औषध उपचार शुरू किया गया क्योंकि कुष्ठ के जीवाणुओं ने "डैपसोन" के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी।

यह पाया गया है कि "डैपसोन", "रिफैम्पिसिन" तथा "क्लोफैजामाइन" के साथ बहु-औषध उपचार अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हुआ है। कुष्ठ के बहु-औषध उपचार से कुष्ठ रोग छूत की बीमारी नहीं रह जाती है। इलाज की अवधि काफी कम हो जाती है और औषध प्रतिरोधी क्षमता वाले जीवाणुओं के पनपने का खतरा भी कम हो जाता है। यद्यपि रिफैमिसिन तथा क्लोफैजामाइन अपेक्षाकृत महंगी दवाइयां हैं, तथापि यह औषधियां बहुत प्रभावी हैं और लागत के हिसाब से अत्यधिक लाभकारी साबित होती हैं।

कुष्ठ रोग के निवारण के लिए कार्यनीति तैयार करने हेतु वर्ष 1981 में उच्च वैज्ञानिकों और कुष्ठ रोग विशेषज्ञों का एक कार्यदल गठित किया गया था। सरकार ने इस कार्यदल की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। वर्ष 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2000 तक कुष्ठ रोग के सभी मामलों का उपचार करके इस बीमारी को रोकना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिलेवार लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा बहु-औषध उपचार के बारे में जानकारी देना है। मौजूदा कुष्ठ रोग संस्थानों/अनुसंधान क्षेत्रों और क्षेत्रीय कुष्ठरोग संस्थानों की स्थापना करके प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम तेज कर दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को भी बढ़ाया गया है।

बहु-औषधी उपचार के अंतर्गत अब तक विभिन्न राज्यों के 15 जिलों की 3 करोड़ 70 लाख जनसंख्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ चुकी है। चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत नौ और जिले शामिल किए जाने की योजना है। "सीडा", "डानिडा" जैसी विदेशी एजेंसियां और विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस कार्यक्रम में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

दिसम्बर, 1985 के अंत तक 33 लाख से अधिक कुष्ठरोगियों का उपचार किया जा चुका है और प्रतिवर्ष इस रोग के लगभग 4 लाख नए मामलों का पता लगाया जाता है और इतने ही रोगियों का इलाज करके उन्हें रोगमुक्त करके उन्हें छुट्टी दे दी जाती है। अब तक कुल 19 लाख 50 हजार रोगियों का उपचार किया जा चुका है। 31 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 403 कुष्ठरोग नियंत्रण इकाइयां, 6985 सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार केन्द्र, 661 शहरी कुष्ठ रोग केन्द्र, 190 जिला कुष्ठ रोग इकाइयां, 43 कुष्ठ रोग प्रशिक्षण रोगियों के लिए लगभग 40,000 बिस्तर उपलब्ध हैं।

सातवीं योजना अवधि के दौरान प्रति हजार 10 अथवा इससे अधिक कुष्ठ रोग वाले सभी 76 जिलों में बहु-औषधी उपचार कार्यक्रम शुरु किये जाने की आशा है।

हमारे राष्ट्रपिता के शहीदी दिवस के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों के कल्याण में गहरी रुचि रखते थे। यह सत्य है कि अब काफी संख्या में लोग कुष्ठ रोग के बारे में सही सामाजिक धारणाएं और वैज्ञानिक जानकारी रखते हैं। कुष्ठ रोग और इसके उपचार पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा की गतिविधियों को तेज किया जा रहा है। □

झालावाड़ जिला द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति के लिए साधनों व सहायता का सदुपयोग

बलवन्त सिंह हाड़ा

राजस्थान का छोटा सा जिला झालवाड़ा अपने स्व-साधनों और सरकारी प्रयत्नों से प्रगति की ओर अग्रसर है। यहां की उपजाऊ भूमि पर ग्रामीण समुदाय का अथक परिश्रम मुखरित हो उठा है। अब यह संतरा उत्पादन में छोटा नागपुर कहलाता है।

इस जिले की नवंबर 1985 तक की 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रगति इस प्रकार रही।

सूत्र-1

भीम सागर एवं हरिश्चन्द्र सागर सिचाई योजनाओं से 19.5 हजार एकड़ भूमि को सिचाई तीन नहरों से की जा रही है जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। **वर्ष 1985-86 में बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रगति के कारण नहरी सिंचित क्षेत्र में 225 हैक्टेयर की वृद्धि हुई। 360 नल कूपों का निर्माण हुआ और 120 पानी निकालने के पम्प लगे। खरीफ के लिए 184.417 हजार हैक्टेयर में 315.72 क्विंटल उन्नत बीज का वितरण किया गया।** रबी के लिए 2309 क्विटल उन्नत बीज का वितरण किया गया।

सूत्र-2

दलहन व तिलहन के अन्तर्गत खरीफ में 39.2 हजार हैक्टेयर के लिए 156.11 क्विटल उन्नत बीज का वितरण किया गया। रबी में 105.30 क्विटल उन्नत बीज का वितरण किया गया। राइजोवियम कलचर के खरीफ में 5800 व रबी में 4200 पेकिटों का वितरण किया गया। पौध संरक्षण खरीफ में 13.658 हजार हैक्टेयर में किया गया। खरीफ में 800 व रबी में 350 प्रदर्शन लगाये गये। खरीफ में तिलहन क्षेत्र बढ़ाकर 31.85 हजार हैक्टेयर किया गया और रबी में 9.975 हजार हैक्टेयर। इसके लिए खरीफ में 293.33 क्विटल व रबी में 29.30 क्विटल उन्नत बीज का वितरण हुआ। तिलहनों का पौध संरक्षण खरीफ में 11.316 हजार हैक्टेयर में किया गया। 940 प्रदर्शन लगाये गये।

सूत्र-3 (पिछड़े को पहले)

आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत नवम्बर 85 तक अनुसूचित जाति के 202 परिवार, अनुसूचित जनजाति के 130 परिवार तथा अन्य कुल 811 परिवार लाभान्वित हुए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 31 हजार रु० खर्च हुए।

सूत्र-4 (भूमिहीनों को भूमि)

इस वर्ष में माह नवम्बर 85 तक 138 एकड़ भूमि का आबंटन किया गया।

सूत्र-5

पूरी-पूरी कृषि मजदूरी हेतु पंचायत समिति के विकास अधिकारीयों व प्रसार अधिकारियों ने पूर्ण निगरानी रखी।

सूत्र-6 (बन्धक मुक्ति)

इस वर्ष में 6 बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया।

सूत्र-7 (हरिजन गिरिजन विकास)

अनुसूचित जाति के 114 परिवार व अनुसूचित जन जाति के 839 अतिरिक्त परिवार लाभान्वित हुए।

सूत्र-8 (पीने का पानी)

38 समस्या ग्रस्त गांवों में पेयजल सुविधा मुहैया की गई।

सूत्र-9 (गरीबों के छप्पर)

भूखण्ड आबंटन 1151 परिवारों को किया जा चुका है। लक्ष यही है कि जिले में एक भी परिवार ऐसा न हो जिसको यह सुविधा न मिल पाए।

सूत्र-10 (गन्दी बस्ती सुधार)

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के आवास हेतु 37 मकानों का निर्माण किया गया।

सूत्र-11 (गांवों में उजाला)

गांवों के विद्युतीकरण के अधीन इस वित्तीय वर्ष में माह नवम्बर 85 तक 3 ग्रामों को बिजली पहुंचाई गई और 145 नलकूपों को बिजली दी गई।

सूत्र-12 (जंगल में मंगल)

14.55 लाख हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया और गांवों में कृषक परिवारों के घरों पर 34 बायोगैस संयंत्र लगाये गये।

सूत्र-13 (छोटा परिवार)

1366 व्यक्तियों के नसबन्दी आपरेशन और 1746 का आई.यू.डी. आपरेशन किया गया।

सूत्र-14 (सब स्वस्थ)

ग्रामीण अंचल में क्षय रोग चिकित्सा 829 व्यक्तियों को दी गई। अन्धापन निवारण के अन्तर्गत 259 आपरेशन सम्पन्न हुए।

सूत्र-15 (मातृ शिक्षु कल्याण)

समग्र बाल विकास के अन्तर्गत 3000 शिशु लाभान्वित हुए।

सूत्र-16 (सब साक्षर)

औपचारिक नामांकन 6 से 11 वर्ष आयु के 84.320 हजार व 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 21.104 हजार बच्चों का किया गया। प्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 600 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चले जिनमें 18,945 व्यक्तियों को साक्षर किया गया।

सूत्र-17 (घर घर राशन)

इस वर्ष तीन नई उचित मूल्य की दुकानें खोली गईं।

सूत्र-18 (ग्रामीण उद्योग)

40 लघु उद्योगों का पंजीकरण किया गया। 45 ग्रामीण कुटीर उद्योगों का पंजीकरण किया गया।

गत खरीफ में वर्षा की कमी होने से जिले के 1202 गांवों में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

संतरा (नारंगी) के बागीयों का क्षेत्र बढ़कर 2500 एकड़ हो गया। इन बगीचों के क्षेत्र में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अन्य प्रान्तों को संतरा निर्यात किया जाता है। इसी कारण यह जिला दूसरा छोटा नागपूर कहा जाने लगा है। अफीम की खेती में बहुत वृद्धि हुई है।

राजस्थान का यह जिला आकार व जन संख्या में छोटा है जिसकी जनसंख्या 7,84,998 व क्षेत्रफल 6,219 वर्ग कि.मी. है इसमें 1589 गांव व 6 नगर हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम में विशेष रुचि लेकर यह जिला बराबर प्रगति की ओर अग्रसर है। शिक्षित बेरोजगारों व स्वयं का रोजगार हेतु 154 लोगों को इस वर्ष बैंकों से ऋण दिलाया जा रहा है। अनुसूचित जाति के 41 युवकों को रोजगार दिलाया गया। लघु व सीमान्त कृषकों को प्रधानमंत्री के बृहत कार्यक्रम के अनुसार 45 नलकूपों का निर्माण व 32 कुएं गहरे कराये गए और 18 पम्प सेट लगाये गए। खरीफ 540 प्रदर्शन आयोजित किए गए। इस प्रकार यह जिला सभी बिन्दुओं पर सफलता से प्रगति के पथ पर है। ग्रामीण समुदाय को नई तकनीक की लाभ देने व ज्ञानवर्धन हेतु टेलीविजन केन्द्र का स्थापना हेतु स्थान का चयन हो चुका है। □

पी०ई०ओ० झालावाड़
राजस्थान

कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने के उपाय

राज्यों के कल्याण मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में 24 और 25 जनवरी, 1985 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 21 राज्यों और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों के कल्याण मंत्रियों ने समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया। इन उपायों के अंतर्गत शिक्षा, आवास, कामकाजी लड़कियों के लिए हॉस्टल, छात्रवृत्तियां, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष योजनाओं के लिए अधिक आबंटन, स्वरोजगार अपनाने वालों के लिए आसान ऋण, गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों को और अधिक सहायता तथा राज्यों में स्वैच्छिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के कदम शामिल हैं।

सम्मेलन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के और अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन करने का भी सुझाव दिया गया। सम्मेलन में मैट्रिक के पहले और मैट्रिक के बाद अधिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों की योग्यता में आय सीमा में वृद्धि करने और अलग से बजट निर्धारित करने का भी सुझाव दिया गया।

सम्मेलन में योजनाओं से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाने के लिए धन राशि आबंटन, अनुदान सहायता और ऋणों की प्रक्रिया को और सरल बनाने का भी सुझाव दिया गया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विभिन्न विशिष्ट उपायों का उल्लेख करते हुए सम्मेलन में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में और आश्रम स्कूल खोलने तथा शैक्षणिक योग्यता में छूट देकर स्थानीय जनजाति अध्यापकों की नियुक्ति करने का सुझाव दिया गया। जनजाति क्षेत्रों में नियुक्त व्यक्ति और अधिक निष्ठा से कार्य करें इसके लिए सम्मेलन ने उन्हें प्रोत्साहन देने का भी सुझाव दिया। □

फसल–बीमा–योजना से लघु व सीमांत कृषकों की सुरक्षा

अवध बिहारी चौधरी

सामयिक वर्षा कृषि-उत्पादन में अमृतवत सहयोग करती है दूसरी ओर असामायिक प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, सूखे, ओले और पाले के रूप में कृषि उत्पादन में विघ्नकारी सिद्ध हुए हैं। भारतीय कृषि अब एक संगठित व्यवसाय का रूप ले रही है जिसमें साहस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृषि व्यवसाय में लघु एवं सीमान्त कृषक अधिक हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वे कृषि की प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें जोखिम वहन करने की शक्ति नहीं होती है। वे अधिकांशत प्राकृतिक साधनों पर निर्भर रहते हैं। इस स्थिति से उन्हें उबारने के लिए सरकार ने फसल बीमा योजना का सृजन किया है।

फसल-बीमा की शुरुआत

इस योजना की शुरूआत भारतीय संघ के 1985-86 के वार्षिक बजट के प्रस्तुतीकरण के साथ हुई। योजना 1985 की खरीफ फसल से प्रभावकारी होगी। इसके अन्तर्गत केवल चावल, गेहूँ, ज्वार, तिलहन और दालों की फसलें सम्मिलित की गई हैं। इस योजना से केवल वही कृषक लाभान्वित होंगे जो इन फसलों को उगाने के लिए सहकारी ऋण संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से फसल-ऋण की सुविधा प्राप्त करेंगे। जो कृषक इन संस्थाओं से ऋण नहीं लेंगे वे इस योजना से लाभान्वित नहीं किए जा सकते हैं। यह योजना सम्बधित राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग तथा भारतीय साधारण बीमा निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

उद्देश्य

इस योजना के अन्तर्गत यद्यपि वही कृषक आते हैं, जिन्होंने कुछ निश्चित फसलों की खेती की है, परन्तु भविष्य में और भी फसलों के बीमे की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं।

(1) अनाजों के अधिकतम उत्पादन को प्रोत्साहन देना,

(3) प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप कृषकों को हानि के विरुद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और

(4) कृषक की साख बढ़ाना

क्षेत्र

प्रारम्भ में फसल-बीमा योजना का कार्यान्वयन कुछ निर्धारित क्षेत्रों में किया जाएगा। बाद में इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। निर्धारित क्षेत्रों की अधिसूचना केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रत्येक फसल के लिए की जायेगी। यह क्षेत्र कोई भी जिला, कोई तहसील, कोई परगना, कोई खण्ड हो सकता है।

प्रभार

फसल-बीमा योजना के अन्तर्गत व्यावहारिक रूप से दो प्रश्न उठते हैं।

(1) बीमा कृत-राशि

(2) प्रभार

जहाँ तक बीमाकृत राशि का प्रश्न है, यह प्रत्येक कृषक के लिए, बीमाकृत मौसम के लिए प्रयुक्त फसल हेतु वितरित ऋण की राशि की 150% होगी। बीमाकृत राशि की प्रयुक्त फसलों के सम्बन्ध में, खेती की वर्तमान लागत, बैंकों द्वारा पोषित वित्तमान का 150 प्रतिशत संगणित की गई है। इस लागत संगणना में भूराजस्व, ब्याज तथा कृषक की स्वयं श्रम साधना को सम्मिलित नहीं किया गया है।

बीमा प्रभार की राशि चावल, गेहूँ और ज्वार के सन्दर्भ में बीमाकृत राशि का 2 प्रतिशत तथा दालों व तिलहनों के सम्बन्ध में बीमाकृत राशि का प्रतिशत होगी। यह राशि बैंकों द्वारा ऋण वितरित करने के समय ऋण राशि में काट ली जायेगी। लघु एवं सीमान्त कृषकों को बीमा-प्रभार की 50 प्रतिशत राशि उपदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। जिसका वहन केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर किया जायेगा।

क्षतिपूर्ति-विधि

इस बीमा-योजना के अन्तर्गत कृषकों को कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी, इसके निर्धारण हेतु एक 'क्षतिपूर्ति-विधि' का प्रतिपादन किया गया है। इसका गणितीय आकलन इस प्रकार होगा—

$$\text{क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{उपज में कमी} \times \text{बीमाकृत राशि}}{\text{न्यूनतम निर्धारित सीमा}}$$

उपज में कमी = न्यूनतम निर्धारित उपज-औसत वास्तविक उपज और न्यूनतम निर्धारित उपज-पिछले 5 वर्षों में प्रति हैक्टेयर औसत उपज का 80 प्रतिशत।

अनुपालन

इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं कि इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएं। उन्हें साधारण बीमा निगम के राज्य स्तरीय "फसल-बीमा कक्षों" से सम्पर्क बनाना है। प्रत्येक बैंक को जिला स्तर पर एक "नोडल" कार्यालय नामित करना है। यह "नोडल—आफिस" सभी शाखाओं से इस योजना के अन्तर्गत "प्राप्त बीमा-प्रभार" का संकलन करेंगे। तत्पश्चात "नोडल आफिस" यह बीमा-प्रभार—राशि चैक द्वारा, आवश्यक विवरण सहित, साधारण बीमा निगम के राज्य फसल बीमा कक्ष को प्रेषित करेंगे।

केन्द्रीय फसल-बीमा-निधि

भारतीय साधारण बीमा निगम अलग निधि स्थापित करेगा, जिसे केन्द्रीय फसल बीमा निधि, नाम दिया गया है। यह राज्य-स्तर पर होगा। प्रारम्भ में सम्बन्धित राज्य 1 करोड़ से 2 करोड़ की राशि से निधि स्थापित करेंगे। इसमें सम्बन्धित राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार का समान अंशदान होगा। सभी राज्यों में इस निधि का स्वरूप, वित्त मंत्रालय एवं कृषि-मंत्रालय के परामर्श द्वारा निर्धारित होगा। इस निधि के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं।

(1) वित्तीय संस्थाओं से बीमा-प्रभार प्राप्त करना,
(2) बीमा-पालिसियों को निगमित करना,
(4) क्षतिपूर्ति-दावों को निपटाना,
(4) राज्यों से प्राप्त सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन,
(5) सांख्यकीय विश्लेषण,
(6) फसल बीमा का राज्यों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु आग्रह करना,
(7) जिन वर्षों में फसल अच्छी न हो, क्षतिपूर्ति के दावों के सम्बन्ध में यह निधि अतिरिक्त फसल बीमा प्रभार के लिए निधियां प्रदान करेगी, जिससे असाधारण बीमा निगम उन वर्षों में जब फसल अच्छी न हो, क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त दावों को निपटाने के लिए इस निधि का उपयोग कर सके।

व्यावहारिक पहलू

योजना उन्हीं कृषकों को लाभान्वित करती है जो वित्तीय संस्थाओं से फसल-ऋण का उपयोग करें। आंकड़े हमें बताते हैं कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा "फसल-ऋण" बहुत ही कम कृषकों को उपलब्ध हो पाते हैं अतः इसका लाभ बहुत ही कम कृषक उठा पाएंगे।

बैंकों द्वारा पोषित फसल—वित्तमान की राशि अवैज्ञानिक तरीकों द्वारा निर्धारित है। ऋण राशि चूंकि प्राधिकृत विवेक एवं "प्रतिभूति उपलब्धि" पर निर्भर करती है, अतः बीमाकृत राशि वास्तविकता से परे है।

गत अनुभव बताते हैं कि साधारण बीमा निगम से दावों का निपटाना इतना आसान नहीं है, जितना आंकलित किया गया है। इस क्रम में पशु बीमा योजना कटु अनुभवों का स्मरण कराती है।

सुझाव

यदि इस योजना में कुछ तात्विक परिवर्तन कर दिया जाए तो इसका लाभ सभी कृषकों को सम्यक रुपेण प्राप्त होगा।

(1) इस बीमा योजना को अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए। इसमें सभी कृषकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, चाहे वे बैंकों से ऋण लें अथवा न ले। बीमा-प्रभार की वसूली कृषकों से उनकी राजस्व की वसूली के साथ अतिरिक्त रूप में अनिवार्यतः कर लेना चाहिए।

(2) कृषकों द्वारा बीमाकृत फसल का विवरण राजस्व अभिलेखों में होना चाहिए। इन अभिलेखों के आधार पर "रोपित फसल" के आकलित मूल्य के बराबर "बीमाकृत राशि" का निर्धारण होना चाहिए। फसल खराब होने की स्थिति में उन्हें भुगतान "बीमाकृत राशि" के बराबर/या उसके अनुपात में होना चाहिए।

(3) कृषकों के दावों का सत्यापन राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। साधारण बीमा निगम इन सत्यापनों के आधार पर दावों के भुगतान हेतु समयबद्ध रूप से बाध्य होने चाहिए।

(4) दावों के भुगतान के बाद "क्लेम आडिट" की व्यवस्था होनी चाहिए। असत्य दावों के लिए सम्बन्धित राजस्व अधिकारी उत्तरदाई हो।

(5) दावों के भुगतान के समय यदि कृषक ने ऋण लिया है तो, उससे सम्बद्ध भुगतान बैंक के माध्य से होना चाहिए।

आशा है "फसल बीमा योजना" में इन सुझावों को प्रतिस्थापित कर दिया जाय तो निश्चय ही, योजना सार्वजनिक रूप से कृषकों का कल्याण कर सकती है। अन्यथा बैंकिग व्यवस्था की विसंगतियों तथा साधारण बीमा निगम की अगतिशीलता के कारण, इस योजना का लाभ समाज को नाममात्र के लिए प्राप्त होगा। आशा है कि वित्त मंत्रालय इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु इन सुझावों का मूल्यांकन करेगा। □

शोध-छात्र,
अर्थशास्त्र विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

बेकारी के संत्रास में फंसा ग्रामीण युवक

सूर्यनारायण त्रिपाठी

आज हमारे ग्रामीण युवकों को बेकारी का अजगर अपनी जकड़ और लपेट में इस कदर जकड़ता जा रहा है कि ग्रामीण युवकों के समक्ष एक अजीबो-गरीब असमंजस और इहापोह की अनसुलझी स्थिति उपस्थित हो गयी है। इस जकड़बन्दी से छुटकारा पाने की कशमकश और छटपटाहट में पड़ा यह वर्ग अधमरा सा हो गया है।

शिक्षित, अर्धशिक्षित और अशिक्षित ग्रामीण युवकों तथा ग्रामीण शिक्षण संस्थानों से अधूरी पढ़ाई करके बेकारों की अन्तहीन कतार में बहुत पीछे खड़े होने को विवश हैं।

आज गाँवों में भी काफी सुविधाएं हैं। पानी, बिजली, स्कूल, परिवहन के साधन, सड़क आदि सुविधाओं से लैस होने के कारण, ग्रामीण समाज़ खास कर युवा वर्ग और अधिक सुविधा का आकांक्षी हो उठा है।

मध्यम आय वर्ग के ग्रामीण युवकों के मनों को शार्टकट रास्ते से जल्दी से जल्दी बड़ा आदमी बनने की इच्छा-आकांक्षा ने बैचेन कर रखा है।

कई युवक सरकारी नौकरी में लग जाने की कोशिश में धरती—आकाश की लम्बाई—चौड़ाई नापने पर विवश हैं। अनेक जनकल्याण घोषणाओं के बावजूद इस वर्ग के समक्ष रोज़गार के अवसरों की नितान्त कमी है। फलत: बेरोजगारी का अज़गर धीरे धीरे रेंगता हुआ, अभाव, तंगी और बेकारी के वातावरण का सृजन कर रहा है।

बेकारी की इसी मानसिक छटपटाहट से आहत ग्रामीण युवाशक्ति जो इस बेरोज़गारी से टूटती सी लग रही है, अपराध की ओर बढ़ रही हैं।

ग्रामीण आबादी में अनुमान से अधिक बढ़ोतरी के कारण खेतीबाड़ी की ज़मीन कम से कमतर होती जा रही है। भूमि की मात्रा आवश्यकता से कम है। फलत: रोटी-रोज़ी की समस्या मुंह बाये खड़ी अपना समाधान चाहती है।

ग्रामीण युवकों की आज़ादी के बाद की पीढ़ी जिसने अब जवानी की दहलीज पर अपना क़दम रख दिया है, अनेक भावनाएँ और तरंगे आमूल चूल हिला रही हैं।

सरकार की ओर से ग्रामीण जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा समाचार पत्रों तथा रेडियों से पढ़ने-सुनने को मिल जाती हैं। परन्तु वे घोषित योजनाएं जैसे रेगिस्तान में बूंद बन कर सूख जाती हैं, कुछ अता-पता नहीं चलता।

दु:खद बात तो यह है कि हमारे योजनाकारों ने कोई ऐसी बुनियादी और ठोस योजना का आरुप हमारे ग्रामीण समाज के समक्ष नहीं रखा जिससे हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी को रोज़ी-रोजगार के अवसर मिलते रहें।

आज ग्रामीण युवा पीढ़ी को बेकारी ने गांव की शान्ति, भाईचारा, सद्भाव, प्यार और स्नेह को अजस्रधारा को सोख लिया है और बेकारी के इस टिड्डी दल को यदि समय से काम पर नहीं लगाया गया तो भस्मासुर की भूमिका का यही वर्ग निर्वाह करेगा।

ग्रामीण युवकों की बेकारी ने पूरे ग्रामीण समाज को अपने खूनी पंजों से घायल कर क्षत-विक्षत कर दिया है और पूरा ग्रामीण समाज ही, कराह रहा है जिससे ग्रामीण समाज का सुहाग उजड़ गया और मन मोह लेने वाली कहानियाँ, चौपालों की बतकही समाप्त हो गयी हैं।

जब हमारे देश को, प्रदेश के और समाज के नेतागण और बुद्धिजीवी वर्ग युवकों को देश के कर्णधार, भविष्य की आशा और आम आदमी का रहनुमा कह कर उद्‌बोधित करता है, तब हमारा मन पीपर पात की तरह काँप, काँप उठता है कि भावी भारत के निर्माताओं के ऊपर जलते सूरज की बरसती आग और नीचे तपती धरती की तपन की जो आन्तरिक तपिश है उसे निरर्थक ही सहने और झेलने को यही वर्ग बाध्य व विवश है। कैसे हो सकता है यह वर्ग भारत का भविष्य? समाजवादी समाज की संरचना की उद्‌घोषणा अभी तक ग्रामीण युवावर्ग के लिए सेमल के फूल ही सिद्ध हुई है और भारतीय अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के लिए उदधोषित बीस सूत्री कार्यक्रम तो जैसे रेत का तेल बन कर रह गया है।

इसलिए ग्रामीण बेकार और बेरोज़गार युवा शक्ति के उपयोग के लिए निश्चय ही एक ऐसी क्रांतिकारी रचनात्मक योजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता जो बेरोजगारी सहित सभी ग्रामीण समस्याओं का मुख्य रूप से

(शेष पृष्ठ 32 पर)

* कहानी

* बदलाव *

प्रवीण शुक्ला

शाम का समय था। सूरज भी अपना काम करते-करते थक गया था और विश्राम के लिए पश्चिम के रास्ते अपने घर जा रहा था। अब उसके पास सुबह वाला प्रकाश नहीं था। भीखू भी दिन भर की मेहनत के बाद बिलकुल थक गया था। शरीर जैसे निर्जीव सा हो गया था। केवल सात रुपये हासिल कर पाया था। क्या-क्या करेगा इन रुपयों से? बच्चों को खाना खिलाएगा, मलेरिया में पड़ी अपनी बीवी की दवाई लाएगा या दिन की थकान कम करने के लिए अपनी बोतल......। भीखू के लिए पीने की आदत, खाना खाने से ज्यादा तीव्र और बलवती थी।

इसी उधेड़बुन में कब उसके पांव झोपड़ी तक आ गये, पता ही नहीं लगा। झोपड़ी भी नाम की ही थी क्योंकि बाढ़ आने के कारण उसके कभी भी एक निश्चित स्थान नहीं मिल पाया था। बार-बार इस जगह से उस जगह ले जाने में झोपड़ी नाममात्र की ही रह गयी थी। छत के नाम पर भी थोड़ा फूस ही शेष था। कब आंधी और बाढ़ उसे उड़ा ले जाय, पता नहीं था। एक कोने में पड़ी टूटी खाट और उसमें जिन्दा लाश की तरह लेटी उसकी बीवी, "कमली" जो बिल्कुल सूख कर कांटा हो गयी थी, बाहर उसके तीनों बच्चे चीथड़े पहने धूल में खेल रहे थे। भीखू अन्दर घुसा। उसके घुसते ही दरवाजे ने जो कि परिवार से बिल्कुल मेल खाता था कराहना शुरु किया और तब तक कराहता रहा जब तक बन्द नहीं किया गया, बच्चे अपने बापू को देख कर अन्दर आ गये थे। उसने चूल्हा जलाया और रोटियां सेक लीं। तीनों बालक भुक्खों की तरह टूट पड़े। तभी भीखू का ध्यान खाट पर कराहती कमली पर गया। माथा तप रहा था—बिल्कुल गरम तवे की तरह। थोड़ी देर में भीखू जमीन पर लेट गया और जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगा ली। उसके दिमाग में न जाने कहां-कहां की बातें आने लगीं। उसकी निगाह बाहर फैले आसमान पर थी जो कि टूटे हुए दरवाजे से देख रहा था। उसके अतीत के चित्र उसके सामने आने लगे।

वह भी कभी एक तगड़ा नौजवान था, लेकिन दुनिया में बिल्कुल अकेला। मां-बाप का साया सिर से बचपन में ही उठ गया था। उसकी शिक्षा तो न के बराबर थी। सर पर किसी का हाथ न होने की वजह से उसकी दिनचर्या बिगड़ रही थी। करीब 9-10 वर्ष की उम्र में ही एक निजी कारखाने में हेल्पर रहा और फिर उसने वहीं फिटर का काम सीख लिया था जो पैसे मिलते उससे वह अपना खर्च चला लेता था। जब उसकी उम्र अट्ठारह वर्ष की हो गयी तो उसे एक अच्छी फैक्ट्री में काम मिल गया और अपनी रोजी-रोटी चलाने लगा, ईमानदार और मेहनती तो था ही इसलिए सभी उसे अपना विश्वास पात्र समझते थे और अपना छोटा-मोटा काम भी करवा लेते थे। उसी फैक्ट्री के राम भजन ने अपनी लड़की कमली की शादी भीखू से कर दी। लड़का गुणवान और मेहनती है खाता कमाता तो रहेगा ही। और इस तरह जीवन भर के लिए कमली भीखू की हो गयी। भीखू कमली जैसी बीवी को पाकर खुश था। कुछ दिन तो ठीक चलता रहा लेकिन चार साल बाद ही भीखू तीन बच्चों का बाप हो चुका था, गरीबी का घेरा सिर पर घिरने लगा क्योंकि इस महंगाई के जमाने में वह 500 रुपये में क्या-क्या कर सकता, न तो बच्चों की परवरिश हो पा रही थी न ही ठीक से घर का खर्चा चलता। इसके ऊपर कमली भी बीमार रहने लगी थी। फूल सी दीखने वाली कमली तीन बच्चों की मां बनते ही बूढ़ी दीखने लगी थी। जब आई थी तब उसका बदन बिल्कुल भरा था और रंग गौरा था। अब तो उसकी खाल हड्डियों से चिपक गई थी, रंग भी सांवला हो गया था। भीखू कभी-कभी पीने भी लगा था क्योंकि जब वह अपने मालिक के लिए शराब लाता तो मालिक थोड़ी सी इसे भी दे देते थे। तब तो शौकिया पी लिया करता था लेकिन अब वही आदत सी पड़ गयी थी। घर में रोज-रोज कलह होने लगी थी। अब ज्यादातर उसका ध्यान पीने की तरफ रहने लगा था। इसी कारण उसके घर की हालत बिल्कुल जर्जर हो गयी थी। एक दिन

वह नशे में धुत फैक्ट्री में पहुंच गया और अनाप-शनाप बकने लगा। नतीजा यह हुआ कि नौकरी भी हाथ से निकल गयी लेकिन शराब की आदत अभी नहीं गयी। अब वह बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। इस बर्बादी का कारण वह स्वयं जानता था मगर मजबूर था। पेट में रोटी डालने के लिए कुछ तो करना ही था ये निगोड़ा कहां मानने वाला था, इसलिए मजदूरी करनी पड़ी। दिन भर मजदूरी करता-रात में शराब। यह दिनचर्या थी उस ईमानदार और मेहनती जवान की।

तभी उसकी तन्द्रा भंग हुई चूंकि उसकी ऊंगलियां बीड़ी से जलने लगी थीं। वह अन्दर ही अन्दर घुटता जा रहा था। उसके दिमाग में अनेकों प्रश्न भौरों की भांति मण्डरा रहे थे। क्या वह अपने अतीत को नहीं दोहरा सकता। तभी उसने कमली से थोड़ी देर में आने के लिए कहा और सीधे रामू काका के पास गया जिनको वह बाप का दर्जा देता था तथा उसकी हर बात मानता था, रामू काका उसके मुरझाए हुए चेहरे को देख कर समझ गये कि कोई बात है। बोले "भीखू क्या बात है, क्यों अपनी सूरत पर बारह बजा रक्खे हैं?"

भीखू ने कहा, "बात दर असल ये है रामू काका कि मैं अपनी जिन्दगी से तंग आ चुका हूं। दिन भर मेहनत-मजदूरी करने के बाद जरा सी थकान उतारने के लिए थोड़ी सी पी लेता हूं तो कमली घर सिर पर उठा लेती है। इतने दिनों से पीता चला आ रहा हूं। एकदम छोड़ देना कोई मामूली बात है नहीं।"

इस पर रामू काका बोले, "बात तो ठीक है भइया लेकिन जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए तुमने ये कहावत तो सुनी होगी। तुम्हारी आमदनी इतनी नहीं है भीखू कि तुम उसे फिजूलखर्ची में उड़ा दो। आजकल मंहगाई के जमाने में तो पेट भरना मुश्किल है तुम मेरी सलाह मानो तो भइया एक काम करो जो जमीन जिसका सरकार से तुम्हें पट्टा मिला है उस पर साग-भाजी की खेती शुरु कर दो।"

आप तो इस तरह से कह रहे हैं, जैसे खेती-बाड़ी में कुछ खर्च ही नहीं होता। पहले अन्टी से रुपया खेत में लगाना पड़ता है तब जाकर कहीं कुछ मिल पाता है और अपने पास तो एक छदाम तो दूर कानी कौडी भी नहीं है। भीखू ने सकुचाते हुए रामू काका से कहा। ठीक है इसका इलाज में तुम्हें बताता हूं। देखो ऐसा करो कि तुम पहले जाकर सहकारी समिति के सदस्य बन जाओ। वहां से तुम्हें बीज और खाद के लिए आसानी से कर्जा मिल जाएगा और बस फिर मेहनत तुम्हारी। कुछ ही दिनों में देखना कि तुम्हारा पसीना कैसा रंग लाता है।

उस दिन भीखू ने रामू काका की ये बात अपने मन में गहराई तक न उतारी होती तो उसके आंगन से दुर्दिन के बादल सदा के लिए कभी न हट पाते और आज भी वह पेट भरने के लिए अन्तहीन लड़ाई के सिलसिले से जूझ-जूझ कर हार रहा होता। चार साल कितनी जल्दी बीत गये कुछ पता ही न चला। उसकी दुनिया ही बदल गयी। तीनों बच्चे पाठशाला में पढ़ने लगे हैं। कमली ने गांव के सेन्टर पर सिलाई बुनाई का काम सीख लिया है अब वह भी कुछ न कुछ खाली समय में आमदनी कर ही लेती है। उधर खुद भीखू को भी अपने खेत से फुर्सत नहीं मिलती। उसे ठीक तरह से याद भी नहीं कि शराब की लत ने किस मोड़ पर अपना हाथ छुड़ा लिया। गांव वालों ने उसे सहाकरी समिति के संचालक मण्डल में चुन लिया है लेकिन भीखू इस बदलाव का कारण सिर्फ रामू काका को ही मानता है, और उनकी सलाह से आज का भीखू पहले वाला भीखू नहीं रह गया है। □

82/35,
गुरुगोविन्द सिंह मार्ग
लालकुआँ
लखनऊ

बेकारी के संत्रास में फंसा ग्रामीण युवक....**(पृष्ठ 30 का शेष)**

ग्रामीण स्तर पर ही हल प्रस्तुत करती हो। इसका अर्थ यह नहीं की गांवों की बेरोजगारी व अन्य समस्याओं के समाधान के सिवा बाहरी किसी सहायता की जरुरत नहीं। गांवों का आर्थिक अंशदान तो गांवों को मिलना ही चाहिए। साथ ही आवश्यकता है गांवों को एक जुट रखने वाली एक ऐसी गांव स्तरीय योजना की जिसका उद्देश्य गांव के हर व्यक्ति को कमोबेस एक सा जीवन स्तर देना हो और ग्रामीण सर्वसाधनों (भौतिक और मानवीय) का सदुपयोग करे। यदि हमारे योजनाकार ठंडे दिलो दिमाग से इस गंभीर प्रश्न पर यथा शीघ्र विचार नहीं करते तो स्थिति बिस्फोटक और भयंकर हो सकती है। क्योंकि बेरोज़गारों की बढ़ती हुई यह दैत्याकार फौज़ शान्ति के साथ रह सके, इसे तो सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए कोई ऐसी योजना का श्रीगणेश पूरे देश में ग्राम पंचायत स्तर से कर दिया जाना चाहिये जो नित बेरोज़गारों की बढ़ रही संख्या के बिना काम के हाथों को काम दे सकें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब बेरोज़गारों की यही संख्या सरकार और समाज के लिए कभी न सुलझने वाली सदैव के लिए एक अनसुलझी समस्या का रूप धारण कर लेगी।

आशा की जानी चाहिए कि सरकार और हमारी योजना कमेटी और योजना विभाग तथा योजनाओं के रचनाकार देश की इस ज्वलन्त समस्या के प्रति कोई ठोस और कारगर कदम उठायेंगे। □

नवाब युसूफ रोड,
इलाहाबाद।
(उ० प्र०)

अमरकंटक की धरती पर कॉफी की खेती

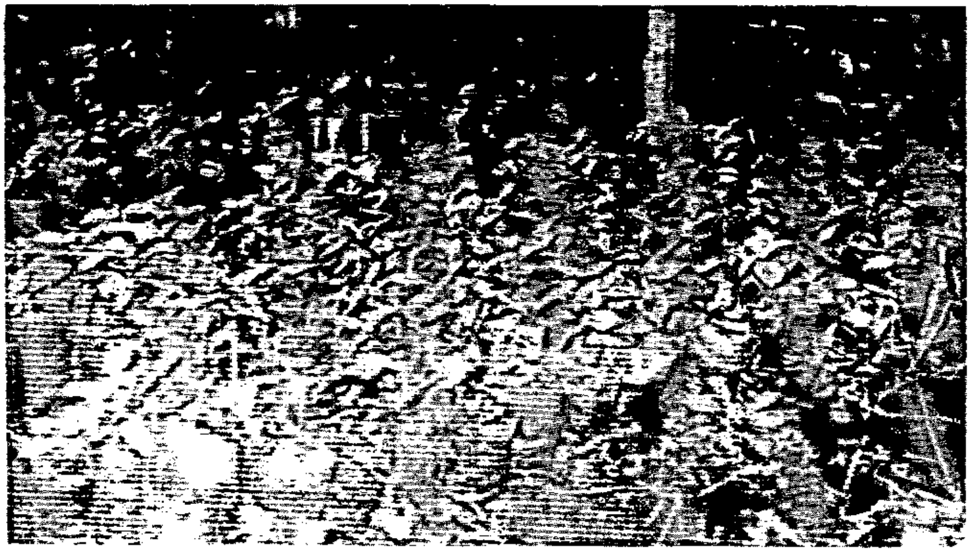

पुष्पराज गढ़ कृषि नर्सरी में पालिथिन की थैलियों में तैयार कॉफी के पौधे

एम० सिंह

देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में अमरकंटक का नाम भी महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश के इसी पर्वतीय स्थल से पुण्य सलिला नर्मदा और जीवनदायिनी सोन नदियों का उद्गम हुआ है। सोन की एक सहायक नदी जुहिला भी यहीं से निकली है। प्राकृतिक शीतलता, सालवृक्षों की सघन हरीतिमा, रजत धवल जल प्रपात यहां के वातावरण को शीतल औरा सुरम्य बना देते हैं।

शहडोल जिले के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित अमरकंटक पर्वतीय स्थल समुद्रतल से 1065 मीटर ऊँचा है। (मध्यप्रदेश में सबसे ऊंचे पचमढ़ी के शिखरों की ऊंचाई 1067 मीटर है) इसके ऊपरी भाग की लम्बाई और चौड़ाई लगभग 30 किलोमीटर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीनकाल में अमरकंटक पर हल जोतना निषिध्द था। आजादी के पूर्व अमरकंटक शहडोल जिले की खैरहा जागीर के अन्तर्गत था। जागीर के कानून के अनुसार यहां के निवासियों को केवल वनोपज का लाभ ही मिलता था वह इस क्षेत्र में खेती नहीं कर सकते थे। परोक्षरूप से इस प्रतिबंध के पीछे प्राकृतिक सुरम्य और वन सम्पदा की रक्षा तथा भूमि के क्षरण को रोकने की भावन ही थी। इस प्रकार 20 वीं सदी के पांचवें दशक तक कानूनी तौर पर और छठवें दशक तक पुरानी परम्परा के कारण अमरकंटक की भूमि बिना जुताई रही है। आजादी के बाद यहां हल चलाने पर कानूनी प्रतिबंध तो नहीं है किन्तु पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण एवं वृक्षों की कटाई की रोकथाम के लिए अमरकंटक नगरीय क्षेत्र में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा शेष भाग में वन विभाग द्वारा सतर्कता बरती जाती हैं।

कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष अमरकंटक पर्वत की ढलानों और घाटियों में कॉफी के उद्यान विकसित करने का अभिनव प्रयोग शुरू किया गया है। परीक्षण के तौर पर कुछ वर्ष अमरकंटक स्थित कृषि प्रक्षेत्र पर कॉफी के पौधे रोपे गए थे जिन पर इस वर्ष फल आने लगे हैं। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पुष्पराजगढ़ में जुहिला नदी के किनारे कृषि नर्सरी पर काफी की पौध तैयार की गई है। मार्च 85 में बोए लगभग 35 हजार पौधे अब रोपने के योग्य हो गए है और इनको रोपने का कार्य भी किया जा रहा है।

पिछले माह तक अमरकंटक नगर को 4 हजार, कचरा टोला को 500, गिरारी को 200 और तीला टीला को 125 पौधे रोपण हेतु भेजे गए हैं साथ ही पौड़ी, नौगवाँ, भौरहा, भेड़ाखार, पटना, किरगी, चन्दनिया, बहपुरा और हर्राटोला गाँवों को भी 100, 50, तथा 25 पौधे दिए गए हैं। 5 हजार पौधे बिलासपुर जिले के लमनी रेंज में भी भेजेगए हैं। पालीथिन की थैलियों में तैयार यह पौधे अगले डेढ़ दो वर्षों तक रोपी जा सकेगी।

दरअसल कॉफी की खेती बगीचे के रूप में की जाती है। अमरकंटक में इसकी खेती के लिए विकसित किए जा रहे उद्यान खुले आकाश के नीचे न होकर साल के विरल छायादार वृक्षों के नीचे लगाए जा रहे हैं। यहां का तापमान वर्षा और भूमि कॉफी के वृक्षों के लिए उपयुक्त पाई गई है। अरेबिका सलेक्शन नं० 7 किस्म की कॉफी दक्षिण भारत से मंगाकर पौध तैयार की गई है। यह बौनी प्रजाति है तथा रोपण के 3 वर्षों के बाद उत्पादन देने लगती है। एक बार लगाए गए पौध 15 वर्ष तक अच्छा उत्पादन देते हैं। इस प्रकार अमरकंटक के पर्वतीय अंचलों में निवास करने वाले आदिवासी किसानों की आर्थिक प्रगति के लिए एक नया अवसर सुलभ हो गया है। □

सहायक संचालक,
विशेष क्षेत्र प्रचार इकाई,
शहडोल (म.प्र.)

आर०एन०/708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/5
P & T Regd. No: D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi

श्री चुन्नी लाल पुत्र श्री खुशी लाल, उम्र 55 वर्ष, गांव सोनकच्छ, बरेसिया खण्ड, भोपाल (म.प्र.) में अपनी एक चाय की दुकान चलाते हैं। श्री चुन्नी लाल इस चाय की दुकान को लगभग पिछले 20 सालों से चलाते आ रहे हैं। लेकिन पहले इनके परिवार का पालन-पोषण बहुत ही कठिनाई से हो पा रहा था। उनके पास कोई पक्की दुकान नहीं थी न ही चाय बनाने का पूरा सामान था।

एक दिन उसे ग्राम सेवक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाली सहायता की जानकारी दी। तब वह खण्ड विकास अधिकारी से जाकर मिला और उसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक से सन् 1984-85 में 5000 रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस पर उसे 1666 रुपये का अनुदान मिला। इससे उसने दुकान पर छत डाली और कुछ चाय के बर्तन खरीदे।

इस समय वह बहुत खुश है। उनकी दैनिक आय 35 रुपये के लगभग है। जिससे उसके परिवार का गुजारा भली-भांति चलता है और बैंक के ऋण की किस्त भी आसानी से दे रहा है। अपनी आय बढ़ाने के लिए उसने पान की दुकान भी साथ ही खोल ली है। □

रमेश कुमार

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड ए-104 मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।